वर्ष 2019-20 के लिए
'लेखे एक दृष्टि में'

महालेखाकार
(लेखा एवं हक़दारी),
उत्तराखण्ड

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

उत्तराखण्ड सरकार

आमुख

वर्ष 2019-20 के लिए हमारे वार्षिक प्रकाशन 'लेखे एक दृष्टि में' के चौदहवें अंक को प्रस्तुत करते हुए मुझे खुशी हो रही है, जो सरकारी गतिविधियों का परिदृश्य प्रस्तुत करता है, जैसा कि "वित्त लेखे और विनियोग लेखे" में परिलक्षित होता है।

वित्त लेखे समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखे के अंतर्गत लेखों का सारांश विवरण है। विनियोग लेखे राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदित प्रावधानों के विरुद्ध अनुदान-वार व्यय को दर्ज करते हैं और वास्तविक व्यय और आवंटित धन के बीच भिन्नता के लिए स्पष्टीकरण दर्शाते हैं।

वित्त और विनियोग लेखे नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (C & AG) के निर्देशन में मेरे कार्यालय द्वारा प्रतिवर्ष विधानसभा में प्रस्तुत करने हेतु तैयार किए जाते हैं।

हम पाठक के उन सुझावों का स्वागत करते हैं जो हमारे प्रकाशन को बेहतर बनाने में सहायक हों।

सन्दीप सिंह

देहरादून
दिनांक: 05.05.2021

(सन्दीप सिंह)
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
उत्तराखण्ड

हमारी दूरदर्शिता, लक्ष्य और बुनियादी मूल्य

दूरदर्शिता

(हम जो बनना चाहते हैं वो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की संस्था की दूरदर्शिता चित्रित करती है।)

हम सार्वजनिक क्षेत्र की लेखा परीक्षा और लेखा में एक वैश्विक मार्गदर्शन और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के सर्जक बनने का प्रयास करते हैं और सार्वजनिक वित्त और शासन पर स्वतंत्र, विश्वसनीय, संतुलित और समय पर रिपोर्टिंग के लिए मान्यता प्राप्त हैं।

लक्ष्य

(हमारा मिशन हमारी वर्तमान भूमिका को व्यक्त करता है और हमारे वर्तमान कार्यों को वर्णित करता है।)

भारत के संविधान द्वारा अनिवार्य, हम उच्च गुणवत्ता की लेखा परीक्षा और लेखांकन के माध्यम से जवाबदेही, पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देते हैं और अपने हितधारकों यथा विधानमंडल, कार्यपालिका और जनता को स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करते हैं कि सार्वजनिक निधियों का उपयोग कुशलतापूर्वक और इच्छित उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।

बुनियादी मूल्य

(हमारे बुनियादी मूल्य हमारे सभी कृत्यों के लिए मार्गदर्शक प्रकाश स्तम्भ हैं और हमें अपने प्रदर्शन का आकलन करने के लिए मानदंड देते हैं।)

- स्वतंत्रता
- निष्पक्षता
- अखंडता
- विश्वसनीयता
- पेशेवर उत्कृष्टता
- पारदर्शिता
- सकारात्मक दृष्टिकोण

अनुक्रमणिका

		पृष्ठ सं.
अध्याय 1	**विहंगावलोकन**	
1.1	प्रस्तावना	1
1.2	सरकारी लेखों की संरचना	2
1.3	वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे	4
1.4	निधियों के स्रोत एवं उपयोग	7
1.5	राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम, 2005	11
अध्याय २	**प्राप्तियाँ**	
2.1	प्रस्तावना	14
2.2	राजस्व प्राप्तियाँ	14
2.3	कर राजस्व	16
2.4	कर संग्रह की लागत	18
2.5	पिछले पांच वर्षों में केन्द्रीय करों में राज्यांश की प्रवृति	19
2.6	सहायक अनुदान	19
2.7	लोक ऋण	21
अध्याय 3	**व्यय**	
3.1	परिचय	22
3.2	राजस्व व्यय	22
3.3	पूँजीगत व्यय	27
3.4	वचनबद्ध व्यय	29
अध्याय 4	**विनियोग लेखे**	
4.1	वर्ष 2019-20 के लिए विनियोग लेखे का सारांश	30
4.2	पिछले पांच वर्षों के दौरान बचत/आधिक्य की प्रवृति	30
4.3	महत्तवपूर्ण बचतें	31
अध्याय 5	**परिसम्पतियाँ एवं देयताएँ**	
5.1	परिसम्पतियाँ	39
5.2	ऋण एवं देयताएँ	40
5.3	प्रत्याभूतियाँ	41

अध्याय 6	**अन्य मदें**	
6.1	आंतरिक ऋण के अंतर्गत प्रतिकूल शेष	42
6.2	राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम	42
6.3	स्थानीय निकायों एवं अन्य को वित्तीय सहायता	43
6.4	रोकड़ शेष और रोकड़ शेष का निवेश	44
6.5	लेखाओं का मिलान	45
6.6	लेखा प्रेषित करने वाली इकाईयों द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण	45
6.7	असमायोजित सार आकस्मिक बिल	45
6.8	उचन्त एवं प्रेषण शेषों की स्थिति	46
6.9	बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति	47
6.10	अपूर्ण पूँजीगत कार्यों के कारण प्रतिबद्धतायें	48
6.11	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली	48
6.12	व्यक्तिगत जमा खाते	49
6.13	निवेश	50
6.14	व्यय का प्रवाह	50
6.15	आरक्षित निधियों की स्थिति	50
6.16	मुख्य उपकर	52

अध्याय - 1
विहंगावलोकन

1.1 प्रस्तावना

महालेखाकार (लेखा एवं हक़दारी), उत्तराखण्ड विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रेषित किए गए लेखों के आंकड़ों को संचित, वर्गीकृत, संकलित करता है और उत्तराखण्ड सरकार के लेखों को तैयार करता है | संकलन 20 जिला कोषागारों, 114 लोक निर्माण प्रभागों, 85 सिंचाई प्रभागों, 57 वन प्रभागों, अन्य राज्यों / लेखा कार्यालयों द्वारा प्रेषित किए गए प्रारंभिक लेखों और भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह से किया जाता है। हर महीने उत्तराखण्ड सरकार को महालेखाकार (ले. एवं हक़.) के कार्यालय द्वारा एक मासिक सिविल लेखा प्रस्तुत किया जाता है। कार्यालय महालेखाकार (ले. एवं हक़.) प्रतिवर्ष सरकार के महत्वपूर्ण वित्तीय सूचकांकों और व्यय की गुणवत्ता पर एक त्रैमासिक अभिमूल्यन टिप्पणी भी उत्तराखण्ड सरकार को प्रस्तुत करता है। महालेखाकार (ले० एवं हक०) वार्षिक वित्त लेखों और विनियोग लेखों को तैयार करता है, जिन्हें प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड द्वारा लेखापरीक्षण भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणीकरण किये जाने के बाद राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाता है।

1.2 सरकारी लेखों की संरचना

1.2.1 सरकारी लेखे तीन भागो में रखे जाते हैं:-

सरकारी लेखों की संरचना

भाग 1

समेकित निधि

सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व जिसमे कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व, जुटाए गये ऋण, समेकित निधि से दिए गये ऋणों (ब्याज सहित) का पुनर्भुगतान शामिल है| सरकार के सभी व्यय एवं संवितरण, जिसमे जारी किये गये ऋण और जुटाए गये ऋणों का पुनर्भुगतान (और उस पर ब्याज) शामिल है, इस निधि से आहरित किए जाते हैं |

भाग 2

आकस्मिकता निधि

आकस्मिकता निधि एक अग्रदाय की प्रवृति में है, जिसका उद्देश्य अप्रत्याशित व्यय जिसके लिए बजट में प्रावधान नहीं था और जिसका प्राधिकरण विधानमंडल द्वारा लंबित है, को पूरा करना है | ऐसे व्यय की प्रतिपूर्ति बाद में समेकित निधि से कर दी जाती है | उत्तराखण्ड सरकार के लिए इस निधि का कार्पस ₹ 500.00 करोड़ है |

भाग 3

लोक लेखे

लोक लेखे में ऋणों (भाग- I में शामिल ऋणों के अलावा), 'जमा', 'अग्रिम' [जिसके संबंध में सरकार का धन वापिस देने का दायित्व है या भुगतान की गई राशि को वसूलने का दावा करती है, ऋण और जमा का पुनर्भुगतान और अग्रिम की वसूली सहित] 'प्रेषण' और 'उचन्त' (उन सभी समायोजन शीर्षों को समाहित करते हुए जिनके तहत कोषागार और मुद्रा चेस्ट के बीच नकद का प्रेषण और विभिन्न लेखांकन परिक्षेत्रों के बीच हस्तांतरण जैसे लेनदेन होते हैं) से सम्बंधित लेनदेन दर्ज किए जाएंगे। इन शीर्षों में प्रारंम्भिक नामे व जमा का निपटान, बाद में उसी या किसी दूसरे लेखांकन परिक्षेत्र में अनुरूप प्राप्ति या अदायगी के द्वारा अथवा लेखा के अंतिम शीर्षों में पुस्तांकित करके किया जाता है |

1.2.2 लेखों का संकलन

लेखों के संकलन के लिए प्रवाह आरेख

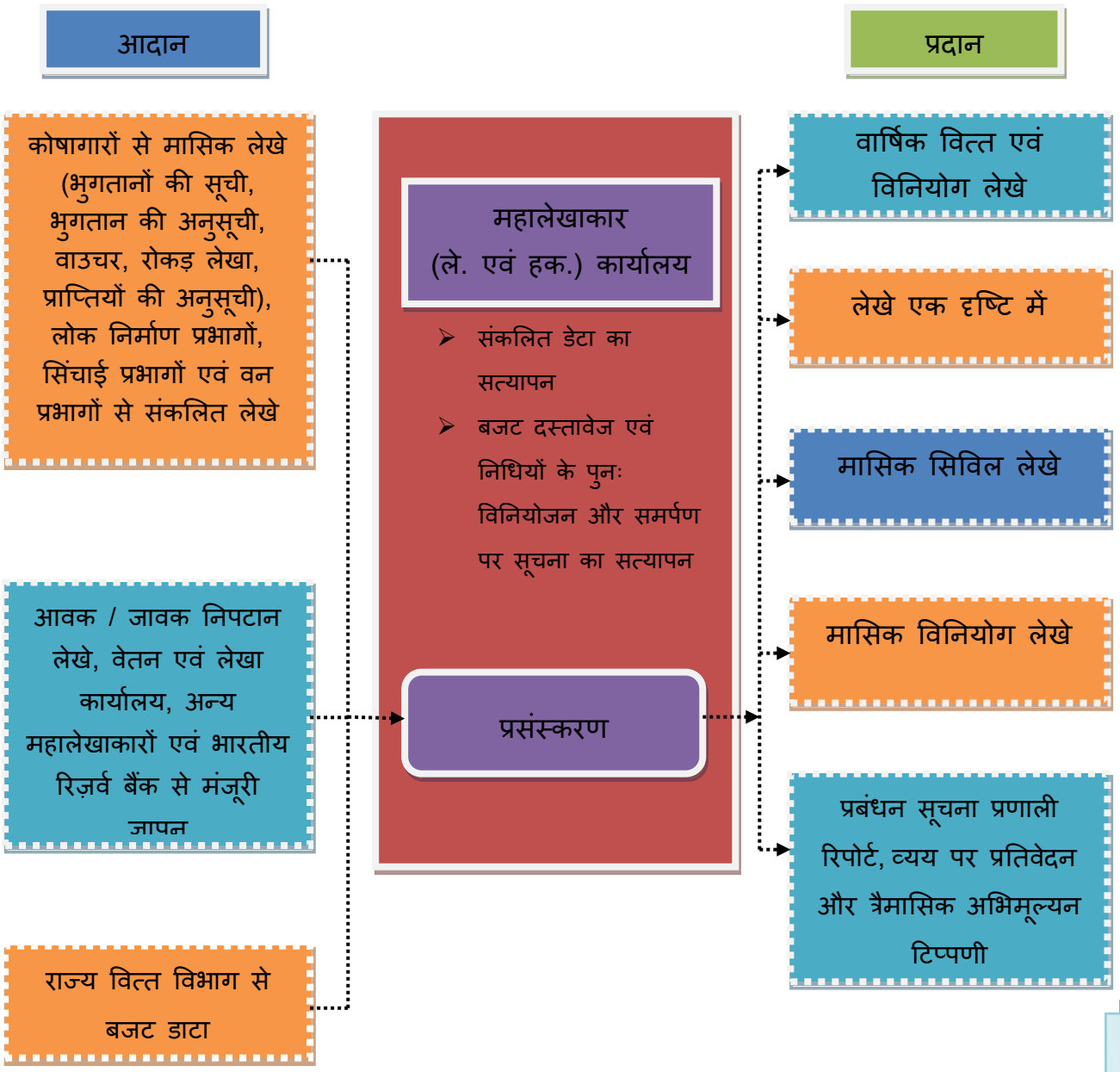

1.3 वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे

1.3.1 वित्त लेखे

वित्त लेखे शासन के राजस्व और पूँजीगत लेखाओं, लोक ऋणों और लेखाओं में अभिलिखित लोक लेखे के शेषों से प्राप्त वित्तीय परिणामों के साथ साथ वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों और संवितरणों को दर्शाते हैं। वित्त लेखे को अधिक व्यापक और सूचना देयक बनाने हेतु इन्हें दो खंडों में तैयार किया जाता है। वित्त लेखों के (खण्ड-I) में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र, समग्र प्राप्तियों और संवितरणों के तेरह (13) सारांशित विवरण और 'लेखाओं पर टिप्पणी' जिसमें महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश, लेखों की गुणवत्ता और अन्य वस्तुओं पर टिप्पणी शामिल होते हैं | खण्ड-II के भाग-I में नौ (9) विस्तृत विवरण एवं भाग-II में तेरह (13) परिशिष्ट सम्मिलित हैं |

वर्ष 2019-20 के दौरान, भारत सरकार ने ₹ 23,04.31 करोड़ की राशि विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए उत्तराखण्ड में सीधे राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों / गैर सरकारी संगठनों को हस्तांतरित की | चूँकि ये निधियाँ राज्य बजट के माध्यम से प्रेषित नहीं की जाती है, इसलिए ये राज्य सरकार के लेखों में परिलक्षित नहीं होती हैं। ये हस्तांतरण वित्त लेखे के खंड II के परिशिष्ट VI में दिए गए हैं।

1.3.2 वर्ष 2019-20 की वित्तीय झलकियाँ

निम्न तालिका वर्ष 2019-20 के लिए वास्तविक वित्तीय परिणाम और बजट अनुमानों का विवरण प्रदान करती है:

क्रम संख्या	घटक	बजट अनुमान *(₹ करोड़ में)*	वास्तविक आँकड़े *(₹ करोड़ में)*	बजट अनुमानों से वास्तविक आंकड़ों का *प्रतिशत*	जीएसडीपी (#) से वास्तविक आंकड़ों का *प्रतिशत*
1.	कर राजस्व (केन्द्रांश सहित) (अ)	2,36,22.11	1,84,14.99	77.96	6.87
2.	करेत्तर राजस्व	42,54.81	39,98.81	93.98	1.49
3.	सहायक अनुदान एवं अंशदान	1,10,78.57	83,08.77	75.00	3.10
4.	**राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3)**	**3,89,55.49**	**3,07,22.57**	**78.87**	**11.46**
5.	ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	33.94	18.92	55.75	0.00
6.	अन्य प्राप्तियाँ	…	…	…	…
7.	उधार एवं अन्य दायित्व (ब)	67,98.16	76,57.27	112.64	2.86
8.	**पूँजीगत प्राप्तियाँ (5+6+7)**	**68,32.10**	**76,76.19**	**112.35**	**2.86**
9.	**कुल प्राप्तियाँ (4+8)**	**4,57,87.59**	**3,83,98.76**	**83.86**	**14.33**
10.	राजस्व व्यय	3,89,32.70	3,28,58.80	84.40	12.26
11.	ब्याज भुगतान पर व्यय (राजस्व व्यय से)	53,32.19	45,04.02	84.47	1.68
12.	पूँजीगत व्यय	65,72.08	54,14.18	82.38	2.02
13.	वितरित ऋण एवं अग्रिम	2,82.81	1,25.78	44.48	0.05
14.	**कुल व्यय (10+12+13)**	**4,57,87.59**	**3,83,98.76**	**83.86**	**14.33**
15.	**राजस्व घाटा (-) आधिक्य (+) (4-10)**	**(+) 22.79**	**(-) 21,36.23**	**(-) 93,73.54**	**(-) 0.80**
16.	**राजकोषीय घाटा (-)/ आधिक्य(+) (4+5+6-14)**	**(-)67,98.16**	**(-) 76,57.27**	**(+) 112.64**	**(-) 2.86**

(अ) ₹ 69,01.54 करोड़ में राज्य को समनुदेशित शुद्ध आय (कर) का भाग सम्मिलित है| [राज्य सरकार की स्वकर प्राप्तियाँ ₹ 1,15,13.45 करोड़ थी जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.04 *प्रतिशत* था |

(ब) उधार एवं अन्य दायित्व: शुद्ध (प्राप्तियाँ - संवितरण) लोक ऋण (₹ 40,16.94 करोड़)+ आकस्मिकता निधि शुद्ध (₹ 68.64 करोड़)+ शुद्ध [प्राप्तियाँ – संवितरण], लोक लेखा (₹ 30,08.44 करोड़) +प्रारंभिक एवं अंतिम रोकड़ शेष शुद्ध (₹ 5,63.25 करोड़) |

(#) वर्ष 2019-20 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 26,80,25.10 करोड़ का आंकड़ा (वर्तमान मूल्यों पर) उत्तराखण्ड राज्य सरकार के बजट दस्तावेज के आधार पर |

वर्ष 2019-20 में प्राप्तियाँ एवं संवितरण

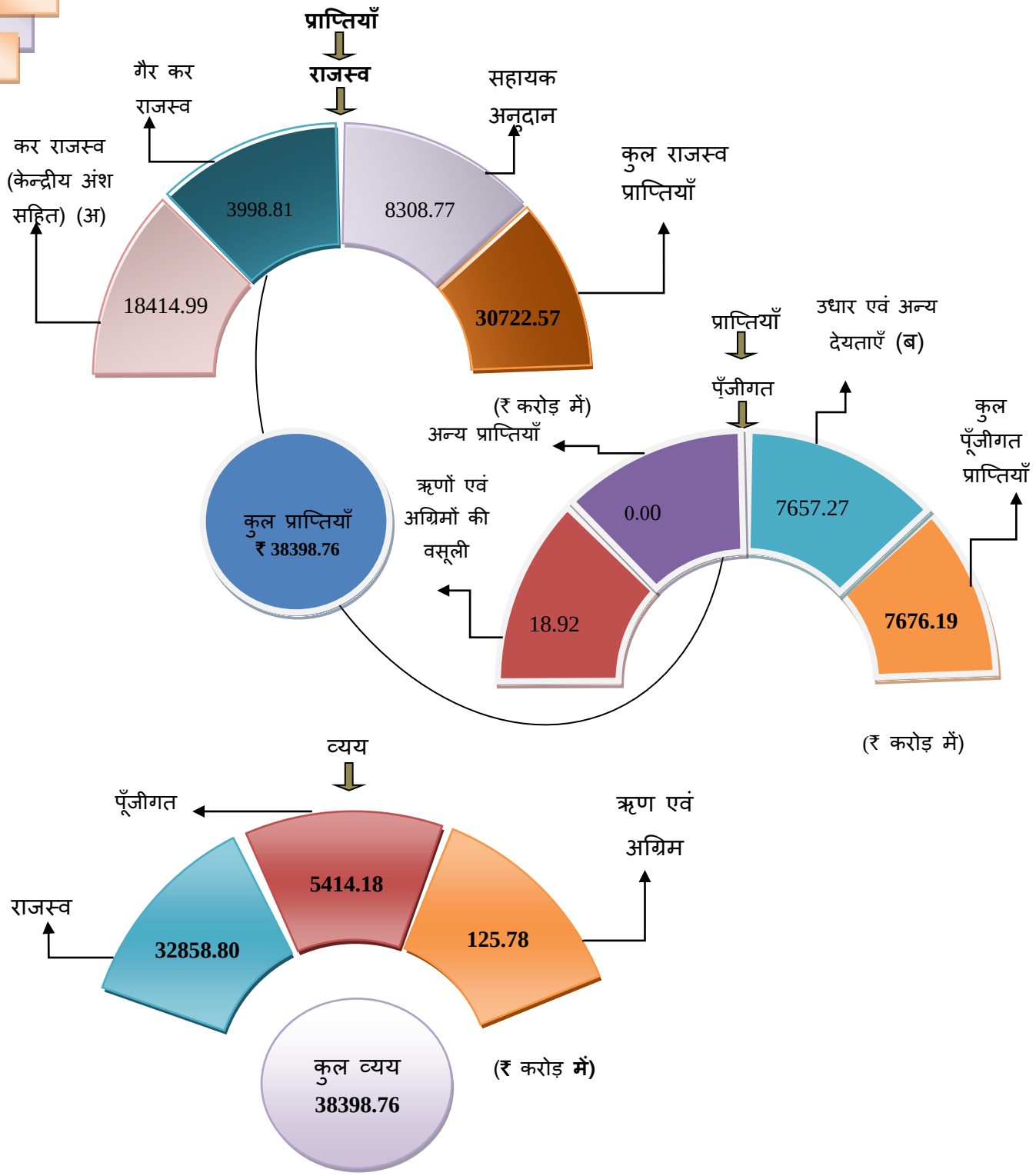

(अ) ₹ 69,02 करोड़ में राज्य को समनुदेशित शुद्ध आय (कर) का भाग सम्मिलित है| [राज्य सरकार की स्वकर प्राप्तियाँ ₹ 1,15,13 करोड़ थी जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.30 *प्रतिशत* था |

(ब) उधार एवं अन्य दायित्व: शुद्ध (प्राप्तियाँ - संवितरण) लोक ऋण + आकस्मिकता निधि शुद्ध,+ शुद्ध [प्राप्तियाँ – संवितरण], लोक लेखा + प्रारंभिक एवं अंतिम रोकड़ शेष शुद्ध |

1.3.3 विनियोग लेखे

संविधान के अंतर्गत यह प्रावधान है कि कोई भी व्यय विधायिका के प्राधिकार के बिना सरकार द्वारा नहीं किया जा सकता है। संविधान में वर्णित कुछ ऐसे व्ययों को छोड़कर, जिन्हें समेकित-निधि को प्रभारित किया जाता है तथा विधायिका के वोट के बिना व्यय किया जा सकता है, अन्य सभी व्यय दत्तमत होना आवश्यक है। विनियोग लेखे वित्त लेखे के पूरक हैं। उत्तराखण्ड के बजट में 01 प्रभारित विनियोग, 07 प्रभारित विनियोग / दत्तमत अनुदान और 23 दत्तमत अनुदान है। विनियोग लेखे का उद्देश्य यह दर्शाना है कि विनियोग के साथ संकलित किए गए वास्तविक व्यय को किस सीमा तक प्रति वर्ष के विनियोग अधिनियम के माध्यम से विधायिका द्वारा प्राधिकृत किया गया है |

1.3.4 बजट तैयार करने की दक्षता

वर्ष 2019-20 के विनियोग अधिनियम में ₹5,11,97.80 करोड़ के सकल व्यय तथा ₹ 23,34.50 करोड़ की वसूलियाँ जिन्हें व्यय में से घटा दिया जाना था, की व्यवस्था की गई थी | इनके विरुद्ध ₹ 4,79,73.19 करोड़ के वास्तविक सकल व्यय तथा ₹ 4,78.41 करोड़ की वसूलियों के परिणामस्वरूप क्रमशः ₹ 32,24.61 करोड़ (6.30 *प्रतिशत*) तथा ₹ 18,56.09 करोड़ (79.51 *प्रतिशत*) की बचत उक्त पर परिलक्षित हुई | 'वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएँ', 'कृषि कर्म एवं अनुसंधान' और 'खाद्य' से संबंधित तीन अनुदानों के अंतर्गत आधिक्य परिलक्षित हुए हैं|

1.4 निधियों के स्रोत एवं उपयोग

1.4.1 अर्थोपाय अग्रिम

भारतीय रिज़र्व बैंक से न्यूनतम सहमति नकदी शेष (₹ 0.16 करोड़), जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ बनाए रखना आवश्यक है, में कमी को पूरा कर तरलता बनाए रखने के लिए अर्थोपाय अग्रिम लिए जाते हैं । वर्ष 2019-20 के दौरान, ₹ 72,78.63 करोड़ के अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त किए और ₹ 69,65.36 करोड़ चुकाए अतः ₹ 3,13.27 करोड़ शेष रहे ।

1.4.2 भारतीय रिज़र्व बैंक से अधिविकर्ष / ओवर ड्राफ्ट

भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ बनाए रखे जाने वाले अपेक्षित न्यूनतम रोकड़ शेष (₹ 0.16 करोड़) में कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अर्थोपाय अग्रिम लेने के बावजूद यदि कमी रहती है तो भारतीय रिज़र्व बैंक से अधिविकर्ष / ओवर ड्राफ्ट लिया जाता है | वर्ष 2019-20 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा 2 दिनों के लिए अधिविकर्ष लिया गया ।

1.4.3 निधि प्रवाह विवरण

वर्ष 2019-20 में राज्य का राजस्व घाटा ₹ 21,36.23 करोड़ और राजकोषीय घाटा ₹ 76,57.27 करोड़ था| शुद्ध लोक ऋण (₹ 40,16.94 करोड़), लोक लेखे में वृद्धि (₹ 30,08.44 करोड़), शुद्ध आकस्मिकता निधि (₹68.64) और प्रारंभिक और अंतिम रोकड़ शेष में शुद्ध कमी (₹ 5,63.25 करोड़) से राजकोषीय घाटा पूरा किया गया| राज्य सरकार के राजस्व प्राप्तियों (₹ 3,07,22.57 करोड़) का लगभग 71 प्रतिशत वचनबद्ध व्यय जैसे वेतन (₹ 1,17,13.73 करोड़), ब्याज भुगतान (₹ 45,04.02 करोड़), पेंशन (₹ 55,06.92 करोड़) और सब्सिडी (₹ 34.62 करोड़), पर खर्च किया गया था।

निधि के स्त्रोत एवं उपयोग

(₹ करोड़ में)

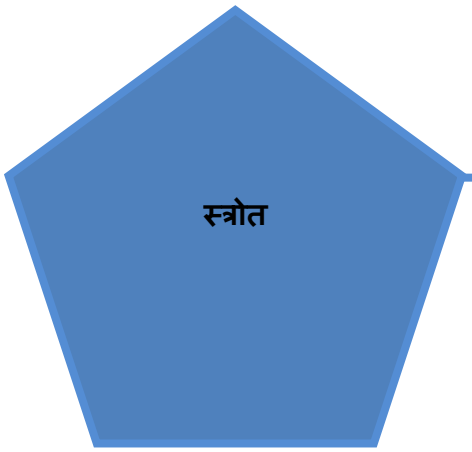

• 1 अप्रैल 2019 को आरम्भिक रोकड़ शेष	1158.50
• राजस्व प्राप्तियाँ	30722.57
• विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0.00
• ऋण एवं अग्रिम की वसूली	18.92
• लोक ऋण	13112.96
• अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि	1976.29
• आरक्षित एवं निक्षेप निधियाँ	3080.09
• जमा प्राप्तियाँ	4024.76
• सिविल अग्रिमों का पुनर्भुगतान	0.00
• उचन्त लेखा	57517.55**
• प्रेषण	21.76
• आकस्मिकता निधि	94.42
• योग	**111727.82**

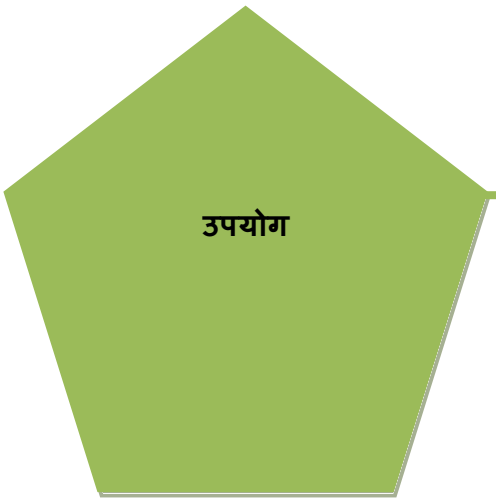

•राजस्व व्यय	32858.80
•पूँजीगत व्यय	5414.18
•प्रद्दत ऋण	125.78
•लोक ऋण का पुनर्भुगतान	9096.03
• अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि.	1310.50
•आरक्षित एवं प्रेषण निधियाँ	321.48
•जमा पुनर्भुगतान	3523.18
•प्रद्दत सिविल अग्रिम	0.00
•उचन्त लेखा	58434.46*
•प्रेषण	22.38
•आकस्मिकता निधि	25.78
•31मार्च 2020 को अन्तिम रोकड़ शेष	595.25
•योग	**111727.82**

* रोकड़ शेष निवेश लेखा के ₹ 2,10,42.59 करोड़ सम्मिलित हैं |

** रोकड़ शेष निवेश लेखा के ₹ 2,12,90.07 करोड़ सम्मिलित हैं |

1.4.4 ₹ कहाँ से आया?

वास्तविक प्राप्तियाँ

1.4.5 ₹ कहाँ गया?

वास्तविक व्यय

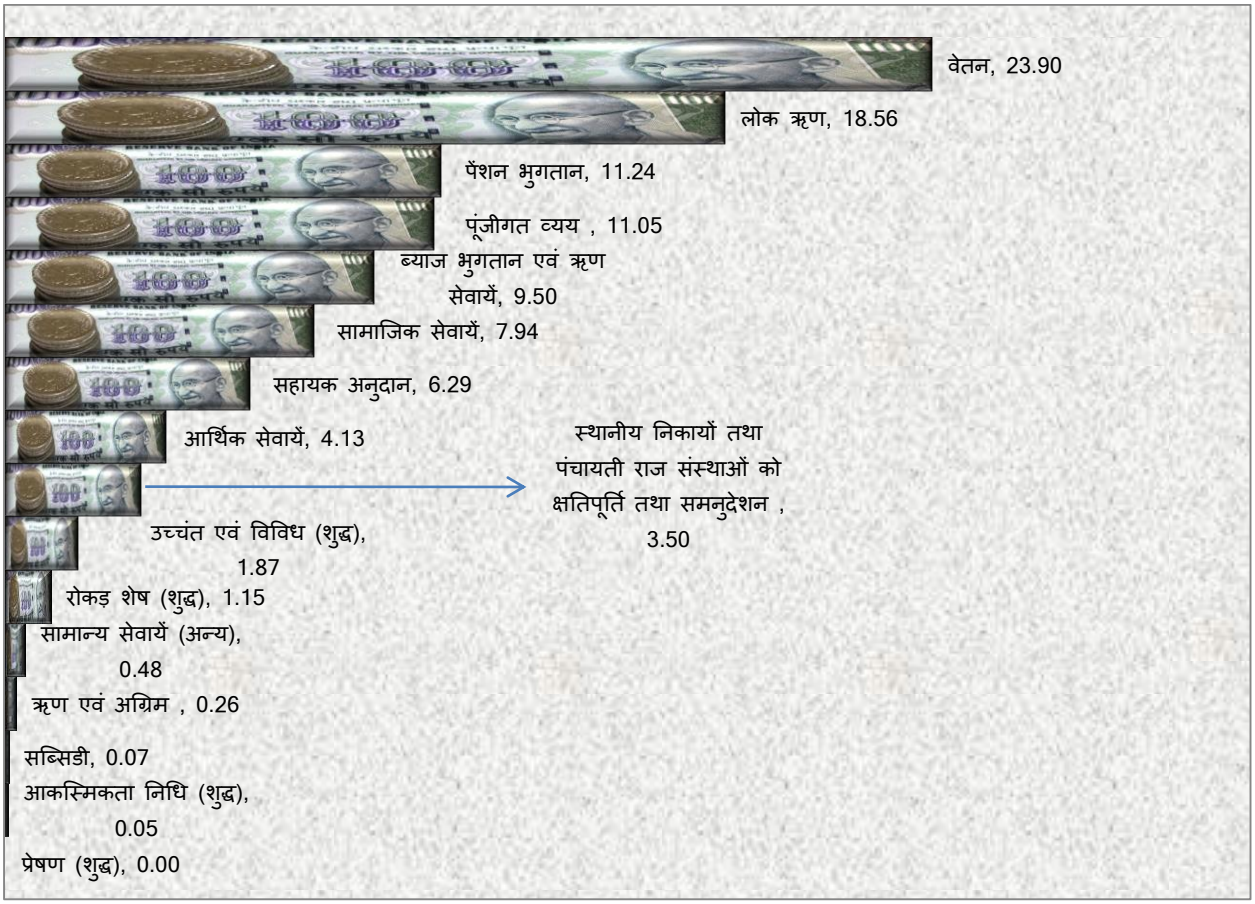

वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 21,36.23 करोड़ का राजस्व घाटा (2018-19 में ₹ 9,79.58 करोड़ घाटा) और ₹ 76,57.27 करोड़ का राजकोषीय घाटा (2018-19 में ₹ 73,20.56 करोड़ घाटा) सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्रमशः 0.80 *प्रतिशत* और 2.86 *प्रतिशत* है | राजकोषीय घाटा सकल व्यय (₹ 3,83,98.76 करोड़) का 19.94 *प्रतिशत* रहा |

<u>घाटा और आधिक्य क्या दर्शाते हैं ?</u>

घाटा

राजस्व और व्यय के अन्तर को दर्शाता है| घाटे का स्वरूप, घाटा वित्त पोषण कैसे हो तथा निधियों का उपयोग वित्तीय प्रबंधन में दूरदर्शिता के महत्वपूर्ण संकेतक हैं |

राजस्व घाटा / आधिक्य

राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच के अन्तर को दर्शाता है | राजस्व व्यय की आवश्यकता सरकार की वर्तमान स्थापना के रखरखाव हेतु होती है और आदर्शतः इसे राजस्व प्राप्तियों से पूर्णतः वहन किया जाना चाहिए |

राजकोषीय घाटा / आधिक्य

सकल प्राप्तियों [उधारों को छोड़कर] और सकल व्यय के बीच के अन्तर को दर्शाता है | इसलिए यह स्पष्ट करता है कि व्यय को किस हद तक उधारी द्वारा वित्त पोषित किया गया तथा आदर्शतः उधारों को पूँजीगत परियोजनाओं में निवेशित किया जाना चाहिए|

1.5 राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम 2005

- घाटा संकेतक, राजस्व संवर्धन तथा व्यय प्रबंधन सरकार की राजकोषीय कार्यशैली को जाँचने के मुख्य मापदंड हैं । उत्तराखण्ड सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2005 को अधिनियमित किया है। इस अधिनियम को 2011 और 2016 में संशोधित किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकार को निर्दिष्ट अवधि तक कुछ राजकोषीय लक्ष्य प्राप्त करने की आवश्यकता थी। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान अधिनियमों द्वारा और इसके तहत बनाए गए नियमों में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्यों के तहत उपलब्धियाँ निम्नानुसार थी:

क्रम संख्या.	वित्तीय मापदण्ड	वास्तविक आंकड़े (₹ करोड़ में)	जीएसडीपी से अनुपात #	
			लक्ष्य	**उपलब्धि**
1	राजस्व घाटा	21,36.23	2014-15 तक समाप्त करना	0.80 (प्राप्त नहीं किया)
2	राजकोषीय घाटा	76,57.27	3 से 3.25 *	2.86 (प्राप्त किया))
3	ऋण और अन्य दायित्व	7942.90	3 से 3.5**	2.96 (प्राप्त किया)
4	बकाया प्रत्याभूतियाँ	5,82.40	1	0.22 (प्राप्त किया)

(#) वर्ष 2019-20 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 26,80,25.10 करोड़ का आंकड़ा (वर्तमान मूल्यों पर) उत्तराखण्ड राज्य सरकार के बजट दस्तावेज के आधार पर |

** एफआरबीएम अधिनियम 2016 के अनुसार राजकोषीय घाटे की सीमा जीएसडीपी का 3 प्रतिशत और सशर्त सीमा जीएसडीपी का 3.25 प्रतिशत तक है।*

*** एफआरबीएम अधिनियम 2016 के अनुसार उधार लेने की सीमा जीएसडीपी का 3 प्रतिशत और सशर्त सीमा जीएसडीपी का 3.5 प्रतिशत तक है।*

राज्य सरकार ने उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियम, 2005 के तहत आवश्यक उद्घोषणाएँ विधानमंडल में प्रस्तुत किए । राज्य सरकार का राजस्व घाटा वर्ष 2018-19 में ₹ 9,79.58 करोड़ और वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 21,36.23 करोड़ का था जो एफआरबीएम अधिनियम के लक्ष्यों के अनुरूप नहीं है। । ₹ 3,36.71 करोड़ की वृद्धि के साथ राजकोषीय घाटा वर्ष 2018-19 में ₹ 73,20.56 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में ₹ 76,57.27 करोड़ हो गया जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.86 *प्रतिशत* था जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 *प्रतिशत* के लक्ष्य की पुष्टि करता है| वर्ष 2019-20 तक बकाया ऋण को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 *प्रतिशत* तक कम करने के लक्ष्य के सापेक्ष, बकाया ऋण 31 मार्च, 2020 को ₹ 79,42.90 करोड़ था, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.96 *प्रतिशत* था। इसी तरह बकाया गारंटी की राशि को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 1 *प्रतिशत* से कम बनाए रखने के लक्ष्य के सापेक्ष, बकाया गारंटी की राशि 31 मार्च, 2020 को ₹ 5,82.40 करोड़

थी, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ 26,80,25 करोड़) का 0.22 *प्रतिशत* थी जो कि अनुबंधित मापदंडों के अनुसार था |

1.5.1 राजस्व घाटे / आधिक्य की प्रवृति

राजस्व घाटे / आधिक्य की प्रवृति

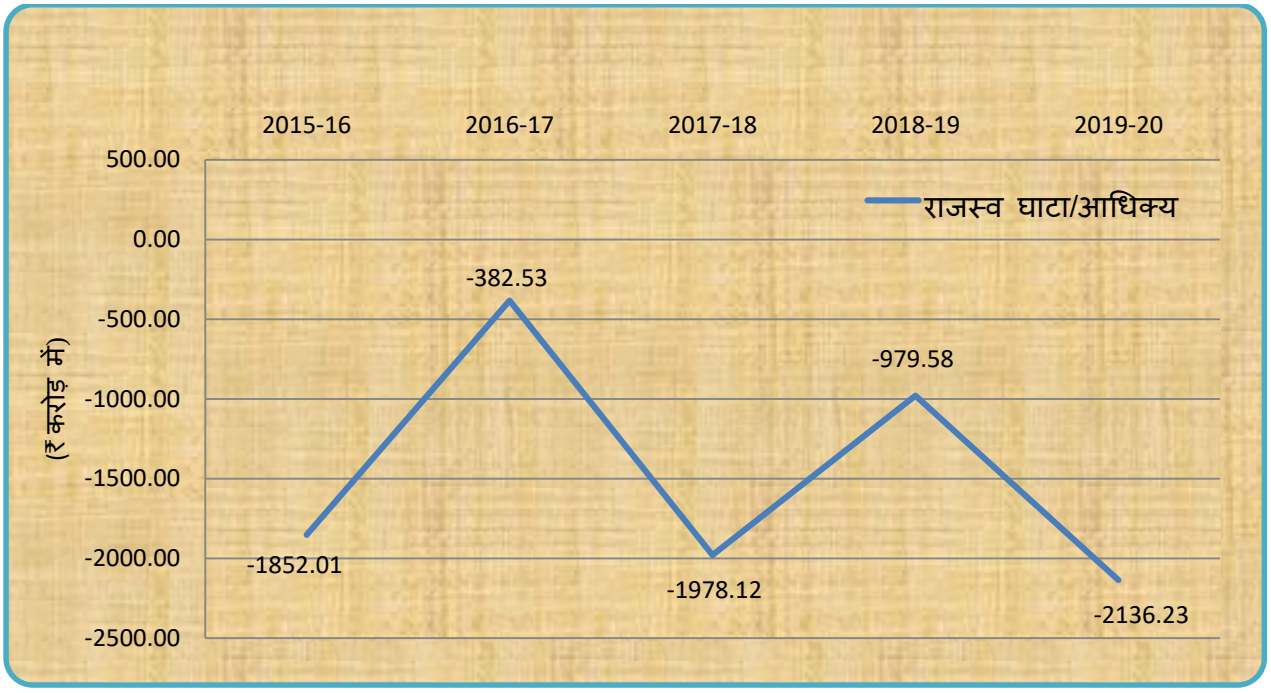

1.5.2 राजकोषीय घाटे की प्रवृति

राजकोषीय घाटे की प्रवृति

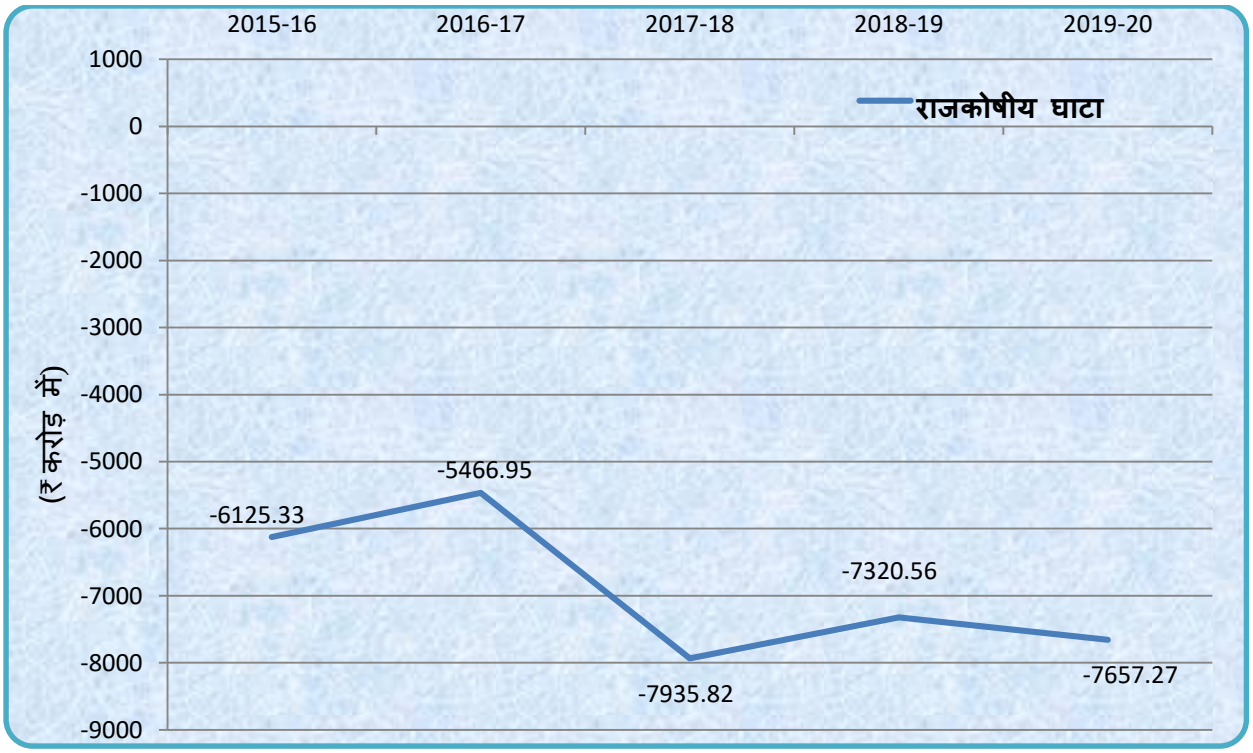

1.5.3 पूँजीगत पर व्यय की गई उधार निधियों का समानुपात

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उधार ली गई निधियाँ*	पूँजीगत व्यय
2015-16	69,98	42,17
2016-17	1,05,91	49,54
2017-18	1,34,57	59,14
2018-19	1,54,48	61,84
2019-20	1,31,13	54,14

* वर्ष के दौरान लोक ऋण की प्राप्तियों को प्रदर्शित करती है।

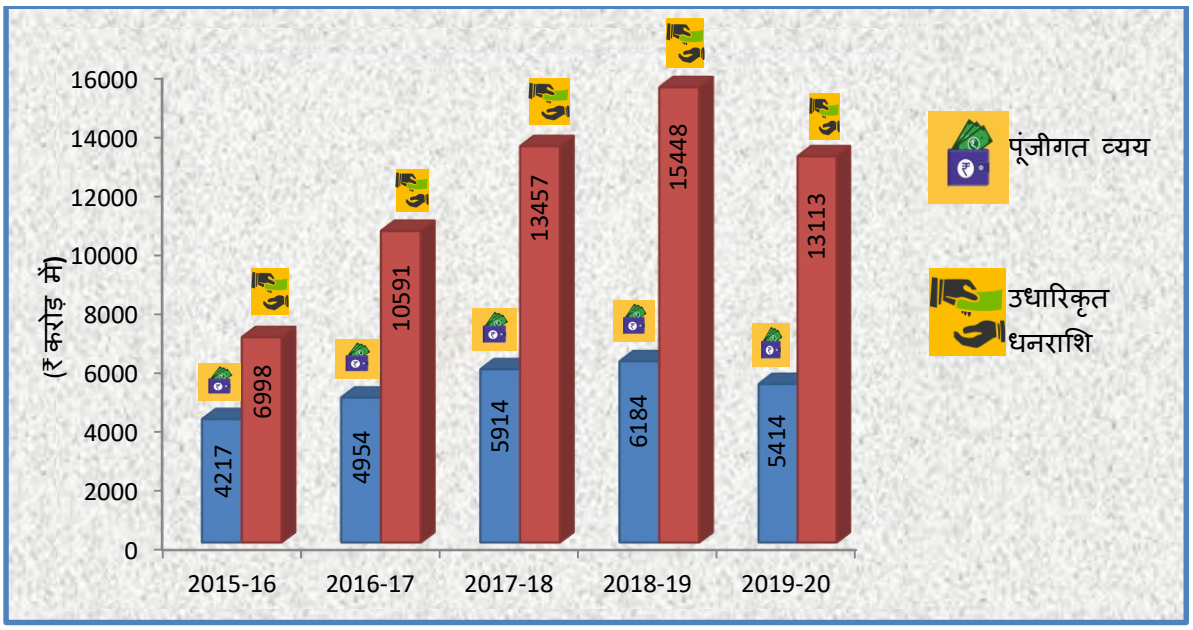

सामान्यत: सरकारें राजकोषीय घाटे पर चलती हैं और पूँजीगत / परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए तथा आर्थिक व सामाजिक ढांचे के निर्माण के लिए ऋण लेती हैं, ताकि उधार के माध्यम से निर्मित संपत्तियाँ अपने लिए स्वयं आय उत्पन्न कर सके। इस प्रकार उधार ली गई निधियों का पूरा उपयोग पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए और राजस्व प्राप्तियों का उपयोग मूलधन और ब्याज की अदायगी हेतु अपेक्षित है। हालाँकि, राज्य सरकार ने वर्तमान वर्ष में उधारों (₹ 1,31,12.96 करोड़) का केवल 41.29 *प्रतिशत* पूँजीगत व्यय (₹ 54,14.18 करोड़) पर और 0.96 *प्रतिशत* सरकार द्वारा प्रद्दत ऋणों (₹ 1,25.78) पर खर्च किया। इसलिए यह प्रतीत होता है कि उधारी का बकाया 57.75 *प्रतिशत* पिछले वर्षों के लोक ऋणों के मूलधन (₹ 90,96.03 करोड़) के अंश के पुनर्भुगतान हेतु उपयोग किया गया।

2.1 प्रस्तावना

सरकार की प्राप्तियाँ राजस्व प्राप्तियों एवं पूँजीगत प्राप्तियों के रूप में वर्गीकृत की गई है | वर्ष 2019-20 के दौरान कुल प्राप्तियाँ ₹ 3,83,98.76 करोड़ (₹ 3,07,22.57 करोड़ की राजस्व प्राप्तियाँ एवं ₹ 76,76.19 करोड़ की पूँजीगत प्राप्तियाँ) थी|

2.2 राजस्व प्राप्तियाँ

सरकार की प्राप्तियों में तीन घटक शामिल हैं नामतः कर राजस्व, करेत्तर राजस्व और केंद्र सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान |

कर राजस्व — राज्यों द्वारा वसूले गए एवं प्रतिधारित किए गए तथा संविधान के अनुछेद 280 (3) के अंतर्गत संघीय करों से राज्यांश के रूप में प्राप्त कर सम्मिलित हैं |

करेत्तर राजस्व — ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश, लाभ, विभागीय प्राप्तियाँ इत्यादि सम्मिलित हैं |

सहायक अनुदान — सहायक अनुदान संघ सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता को प्रदर्शित करती है | इसमे विदेशी सरकारों से प्राप्त "बाह्य अनुदान सहायता" और 'सहायता, सामग्री, उपकरण' जो संघ सरकार के माध्यम से राज्य सरकार को प्राप्त होते हैं, भी सम्मिलित हैं | राज्य सरकार भी पंचायती राज संस्थाएं, स्वायत्त संस्थाएँ इत्यादि को सहायता अनुदान प्रदान करती है |

राजस्व प्राप्तियाँ

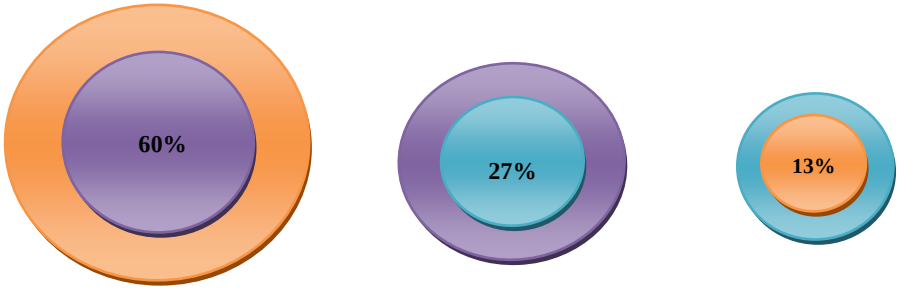

2.2.1 राजस्व प्राप्तियों के घटक (2019-20)

घटक	वास्तविक *(₹ करोड़ में)*	राजस्व प्राप्तियों से *प्रतिशत*
A. कर राजस्व*	**1,84,14.99**	**59.94**
वस्तु एवं सेवा कर	68,89.51	22.42
आय और व्यय पर कर	41,97.19	13.66
सम्पति और पूँजीगत संव्यवहारों पर कर	10,96.06	3.57
वस्तुओं और सेवाओं पर कर	62,32.23	20.29
B. करेत्तर राजस्व	**39,98.81**	**13.02**
अन्य राजकोषीय सेवाएँ	0.02	0.00
ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश और लाभ	61.89	0.20
सामान्य सेवायें	26,35.76	8.58
सामाजिक सेवायें	4,49.54	1.47
आर्थिक सेवायें	8,51.60	2.77
C. सहायक अनुदान और अंशदान	**83,08.77**	**27.04**
योग – राजस्व प्राप्तियाँ	**3,07,22.57**	**100**

***** राज्य को समनुदेशित शुद्ध आय का भाग सम्मिलित [भारत सरकार से प्राप्त] है |

2.2.2 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृति

(₹ करोड़ में)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कर राजस्व (राज्य द्वारा उघाया गया)	93,78 (5)	1,08,97 (6)	1,01,65 (5)	1,21,88 (5)	1,15,13 (4)
केन्द्रीय करों/शुल्कों का राज्यांश	53,33 (3)	64,12 (3)	70,85 (3)	80,11 (3)	69,02 (3)
करेत्तर राजस्व	12,20 (1)	13,46(1)	17,70 (1)	33,10 (1)	39,99 (1)
सहायक अनुदान	53,04(3)	62,34 (3)	80,85 (3)	77,07 (3)	83,09 (3)
योग राजस्व प्राप्तियाँ	2,12,34 (12)	2,48,89 (13)	2,71,05 (12)	3,12,16 (12)	3,07,23 (11)
जीएसडीपी	**17,71,63**	**19,51,25**	**22,28,36**	**24,58,95**	26,80,25#

नोट: वर्ष 2019-20 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 26,80,25.10 करोड़ का आँकड़ा (वर्तमान मूल्यों पर) उत्तराखण्ड राज्य सरकार के बजट दस्तावेज के आधार पर |

 # अग्रिम अनुमान

हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में 2019-20 में जीएसडीपी में 9 *प्रतिशत* की कमी हुई है, लेकिन राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि केवल 1.58 *प्रतिशत* थी। पिछले वर्ष की तुलना में कुल कर राजस्व में संघीय करों में राज्यांश/शुल्कों सहित 8.84 *प्रतिशत* की कमी, करेत्तर राजस्व में 20.82 *प्रतिशत* की वृद्धि और सहायक अनुदान में 7.81 *प्रतिशत* की कमी हुई |

राजस्व प्राप्तियों के घटकों की प्रवृति

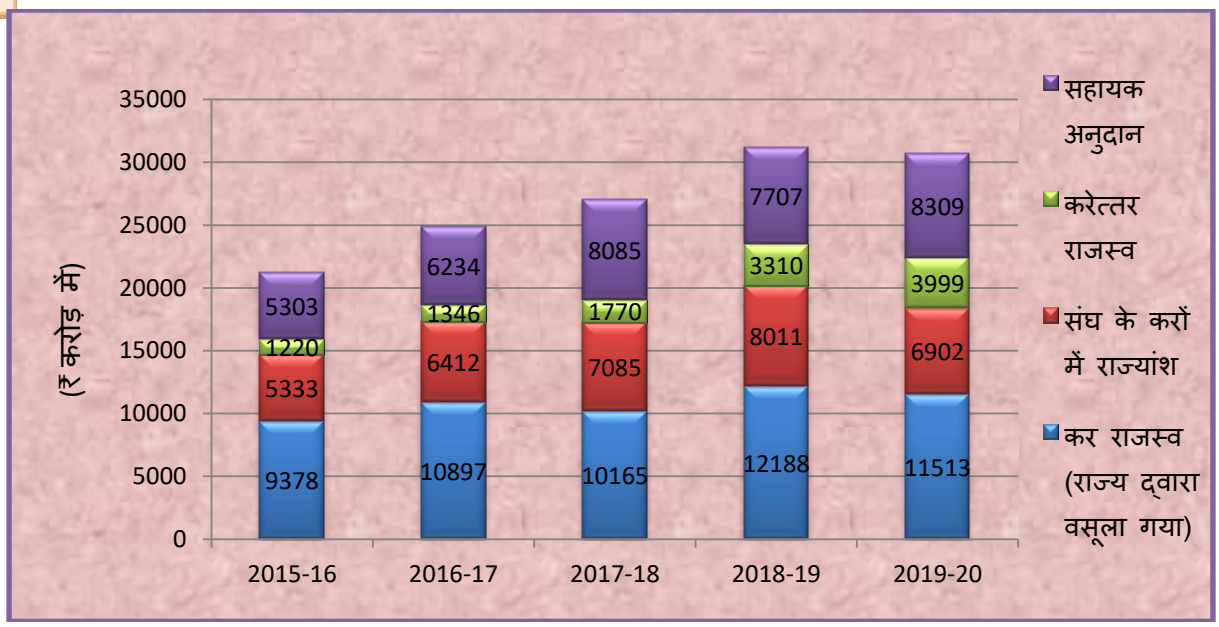

2.3 कर राजस्व

(करोड़ ₹ में)

कर राजस्व क्षेत्रवार					
	2015-16	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**
(अ) वस्तु एवं सेवा कर	NA*	NA*	27,88(1.25)	69,37(2.82)	68,90 (2.57)
(ब) आय और व्यय पर अन्य कर	28,64(1.62)	35,14(1.80)	40,21(1.80)	48,53(1.97)	41,97 (1.57)
(स) सम्पति और पूँजीगत संव्यवहारों पर कर	8,99(0.51)	9,42(0.48)	9,06(0.41)	10,51(0.43)	10,96 (0.41)
(द) वस्तुओं और सेवाओं पर कर	1,09,48(6.18)	1,28,53(6.59)	95,35(4.28)	73,59(2.99)	62,32 (2.32)
कुल कर राजस्व	**1,47,11(8.30)**	**1,73,09(8.87)**	**1,72,50(7.74)**	**2,02,00(8.21)**	**1,84,15(6.87)**
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	17,71,63	19,51,25	22,28,36	24,58,95	26,80,25

नोट: कोष्ठक में दिए गए आँकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता दर्शाते हैं |

* जीएसटी 01/07/2017 को लागू किया गया था |

2019-20 के दौरान कुल कर राजस्व में कमी मुख्य रूप से वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर में कमी (₹ 11,27 करोड़) एवं आय और व्यय के अंतर्गत कम संग्रहण (₹ 6,56 करोड़) के कारण थी|

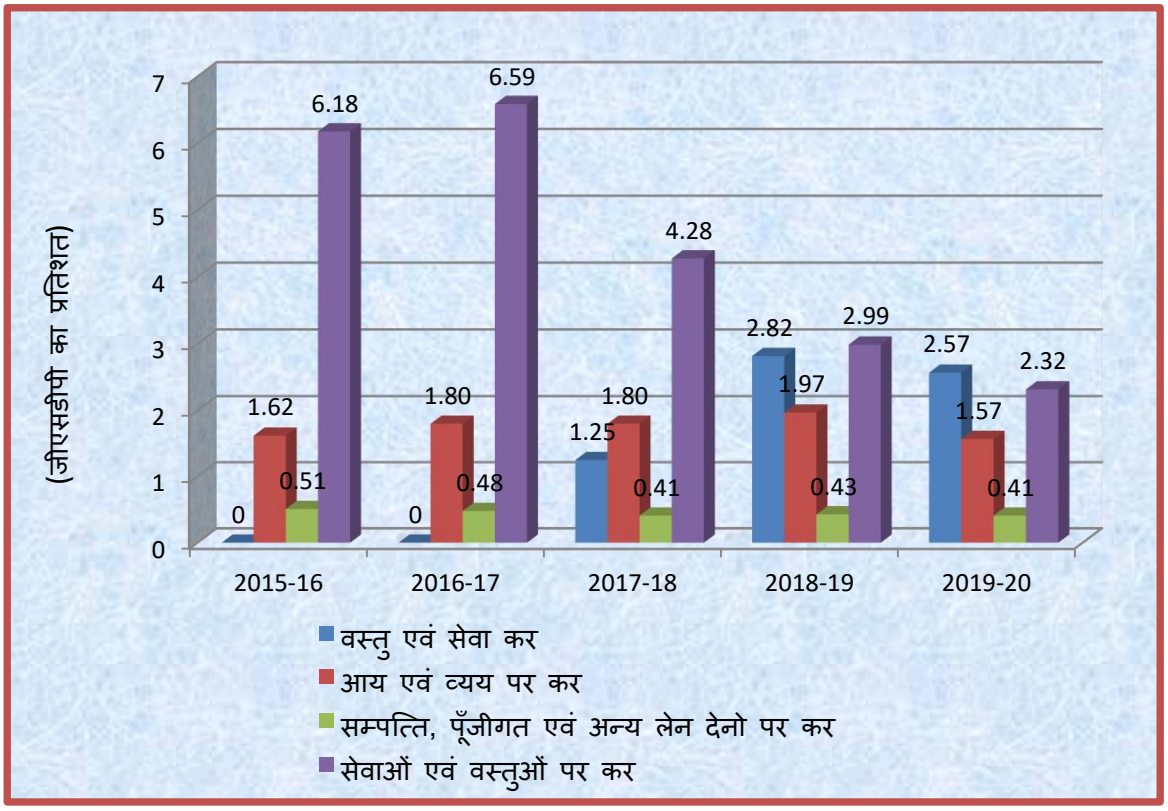

जीएसडीपी के अनुपात में प्रमुख करों की प्रवृत्ति

2.3.1 राज्य का स्वकर एवं केन्द्रीय करों में राज्यांश

राज्य सरकार का कर राजस्व दो स्रोतों नामतः राज्य का अपना कर संग्रह और संघ करों का विचलन से बनता है |

वर्ष	कर राजस्व (₹करोड़ में)	संघ के कर और शुल्कों में राज्यांश (₹करोड़ में)	राज्य का स्वयं का कर राजस्व	
			कर राजस्व (₹करोड़ में)	जीएसडीपी से *प्रतिशत*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2015-16	14711	5333	9378	5.32
2016-17	17309	6412	10897	5.58
2017-18	17250	7085	10165	4.67
2018-19	20200	8012	12188	4.96
2019-20	18415	6902	11513	4.30

निम्न तालिका में पांच वर्षों की अवधि में दोनों स्रोतों से प्राप्त कर राजस्व की तुलनात्मक स्थिति को दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राज्य का स्वकर संग्रह	93,78	1,08,97	1,01,65	1,21,88	1,15,13
संघ करों का विचलन	53,33	64,12	70,85	80,12	69,02
कुल कर राजस्व	1,47,11	1,73,09	1,72,50	2,02,00	1,84,15
कुल कर राजस्व में राज्य के स्वकर का *प्रतिशत*	64	63	59	60	63

समग्र कर राजस्व में राज्य के स्वकर संग्रह का अनुपात 2016-17 में घटकर 63 प्रतिशत, 2017-18 में घटकर 59 प्रतिशत हों गया जबकि 2018-19 में बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया, 2019-20 में बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया|

2.3.2 पिछले पांच वर्षों में राज्य के अपने कर संग्रह की प्रवृति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1.**राज्य वस्तु एवं सेवा कर**	*	*	19,72	48,02	49,31
2.**बिक्री,व्यापार आदि पर कर**	61,05	71,54	37,03	18,83	18,11
3.**राज्य उत्पाद शुल्क**	17,35	19,06	22,62	28,71	27,27
4.**वाहन पर कर**	4,71	5,56	8,16	9,09	9,08
5.**स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क**	8,71	7,78	8,82	10,15	10,72
6.**बिजली पर कर और शुल्क**	1,15	1,89	3,24	5,06	39
7.**भू राजस्व**	28	1,60	24	34	24
8.**अन्य कर**	53	1,54	1,82	1,68	1
राज्य का कुल स्वकर	93,78	1,08,97	1,01,65	1,21,88	1,15,13

*** अनुपलब्ध**

2.4 कर संग्रह की लागत

(₹ करोड़ में)

	2015-16	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**
1. बिक्री,व्यापार आदि पर कर					
राजस्व संग्रह	61,05	71,54	37,03	18,83	18,11
संग्रह पर व्यय	2,83	1,86	1,90	41	8
कर संग्रह की लागत	4.64%	2.60%	5.13%	2.18%	0.44%
2 राज्य उत्पाद शुल्क0.					
राजस्व संग्रह	17,35	19,06	22,62	28,71	27,27
संग्रह पर व्यय	18	19	23	26	25
कर संग्रह की लागत	1.04%	1.00%	1.02%	0.91%	0.92%

3. स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क					
राजस्व संग्रह	8,71	7,78	8,82	10,15	10,72
संग्रह पर व्यय	32	24	22	12	13
कर संग्रह की लागत	3.67%	3.08%	2.49%	1.18%	1.21%
4. वाहनों पर कर					
राजस्व संग्रह	4,71	5,56	8,16	9,09	9,08
संग्रह पर व्यय	0.50	0.38	0.36	0.28	0.21
कर संग्रह की लागत	0.11%	0.07%	0.04%	0.03%	0.02%

अन्य करों के संग्रह पर व्यय की तुलना में स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क के संग्रह पर व्यय अधिक हुआ।

2.5 पिछले पांच वर्षों में केंद्रीय करों में राज्यांश की प्रवृति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर	*	*	1,01	19,77	19,59
समेकित वस्तु एवं सेवा कर	*	*	7,15	1,58	…
निगम कर	16,77	20,56	21,70	27,86	23,53
आय पर निगम कर से भिन्न कर	11,63	14,29	18,32	20,52	18,44
आय और व्यय पर अन्य कर	…	…	…	15	…
सम्पति कर	0	5	…	1	…
सीमा शुल्क	8,55	8,84	7,15	5,68	4.38
संघ उत्पाद शुल्क	7,14	10,10	7,48	3,77	3.04
सेवा कर	9,20	10,28	8,04	74	…
वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	4	….	…	4	4
संघ के करों/शुल्कों में राज्यांश	**53,33**	**64,12**	**70,85**	**80,12**	69,02
कुल कर राजस्व	**1,47,11**	**1,73,09**	**1,72,50**	**2,02,00**	1,84,15
कुल कर राजस्व से केंद्रीय करों में राज्यांश का प्रतिशत	36.25	37.04	41.07	39.66	37.48

*अनुपलब्ध

उत्तराखण्ड सरकार ने वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान सभी साझा संघीय करों में राज्यांश के रूप में कुल कर राजस्व का 36% से 41% हिस्सा प्राप्त किया |

2.6 सहायक अनुदान

सहायक अनुदान, राज्य योजनाओं, केन्द्रीय योजनाओं एवं केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु (नीति आयोग द्वारा अनुशंसित) एवं वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान के रूप में भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता को प्रदर्शित करता है |

2019-20 के दौरान सहायक अनुदान के तहत कुल प्राप्तियाँ ₹ 83,09 करोड़ थीं जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

सहायक अनुदान

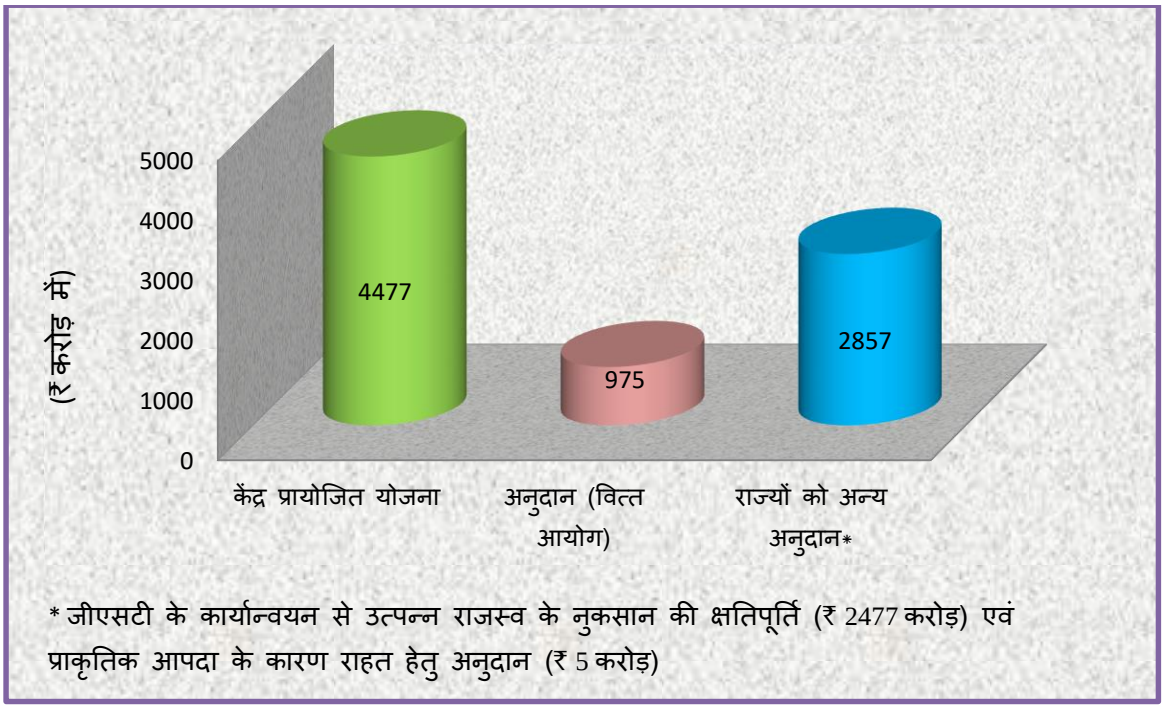

* जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व के नुकसान की क्षतिपूर्ति (₹ 2477 करोड़) एवं प्राकृतिक आपदा के कारण राहत हेतु अनुदान (₹ 5 करोड़)

सहायक अनुदान की प्रवृति

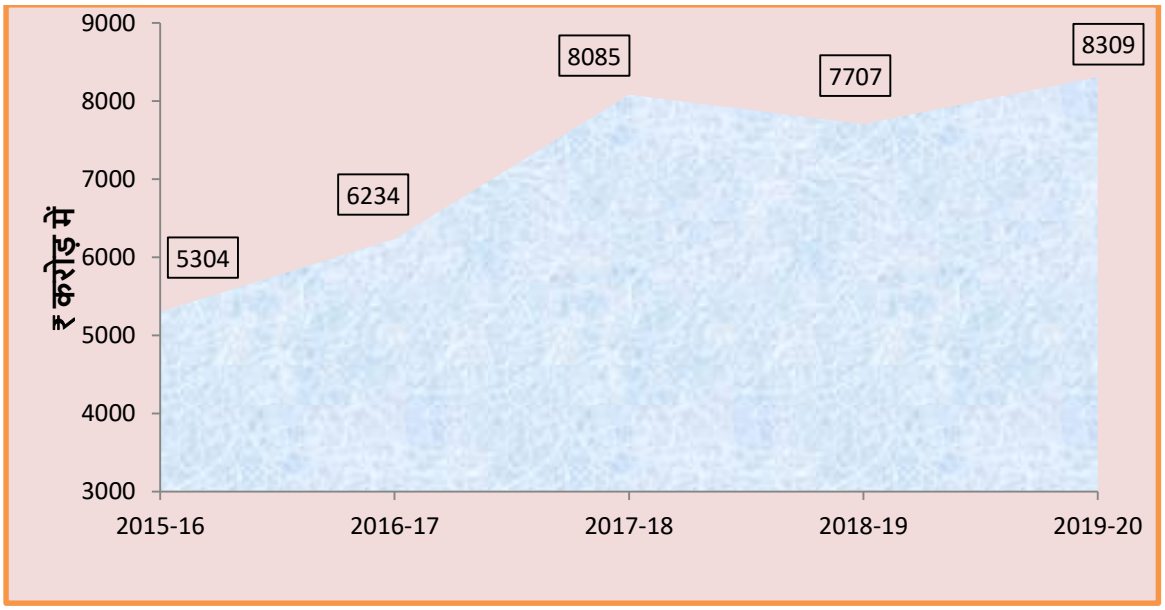

2.7 लोक ऋण

विगत पांच वर्षों में लोक ऋण (आंकड़े वर्ष 2019-20 के दौरान शुद्ध वृद्धि/कमी को दर्शाते हैं) की स्थिति की प्रवृत्ति:

₹ करोड़ में

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
आंतरिक ऋण	4736	5263	5731	5156	3994
केन्द्रीय ऋण	66	111	74	62	23
कुल	4802	5374	5805	5218	4017

वर्ष 2019-20 के दौरान, कुल ₹ 51,00.00 करोड़ के बाईस ऋण खुले बाजार से 6.88 *प्रतिशत* से 8.19 *प्रतिशत* तक की ब्याज दरों पर लिए गये और वे वर्ष 2029 एवं 2030 में शोधनीय हैं । इसके अलावा, राज्य सरकार ने वित्तीय संस्थानों से ₹ 6,64.30 करोड़ का ऋण लिया। भारतीय रिज़र्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिमों से ₹ 72,78.63 करोड़ की राशि प्राप्त की गई। इस प्रकार वर्ष 2019-20 के दौरान सरकार द्वारा कुल ₹ 1,30,42.93 करोड़ का आंतरिक ऋण लिया गया। सरकार ने ऋण और अग्रिम के रूप में भी भारत सरकार से भी ₹ 70.03 करोड़ प्राप्त किए।

उधार निधियाँ अर्थात पूँजीगत व्यय

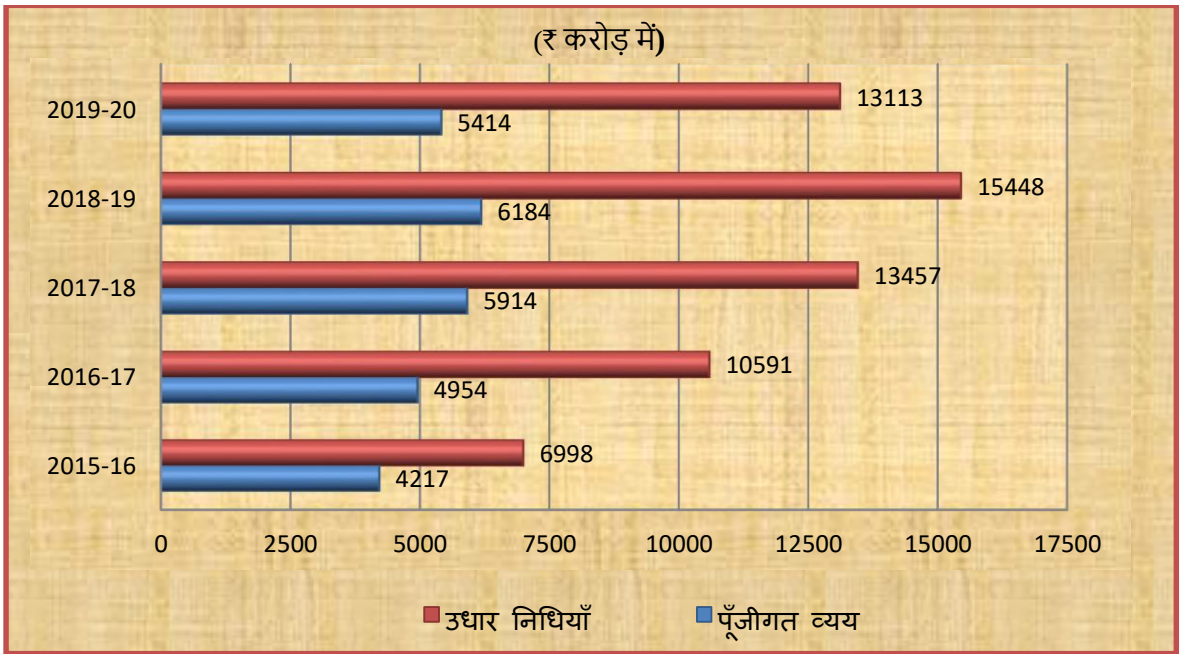

अध्याय 3
व्यय

3.1 परिचय

व्यय को राजस्व व्यय एवं पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है | राजस्व व्यय संगठन के संचालन हेतु दिन-प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है | पूँजीगत व्यय स्थाई परिसम्पतियों के सृजन या इस प्रकार की परिसम्पतियों की उपयोगिता बढ़ाने या स्थाई देयताओं को कम करने के लिए किया जाता है |

सरकारी लेखे में व्यय को शीर्ष स्तर पर तीन क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है; सामान्य सेवायें, सामाजिक सेवायें और आर्थिक सेवायें | इन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले व्यय के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का उल्लेख नीचे दी गई तालिका में किया गया है:

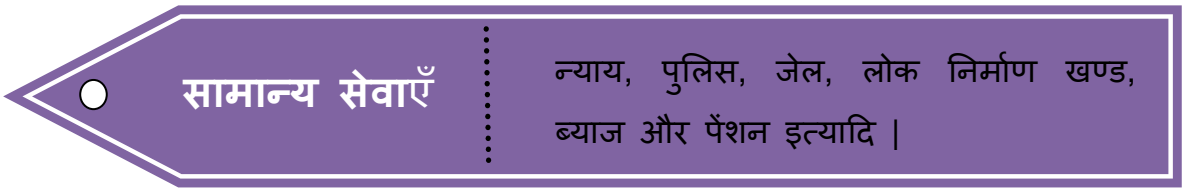

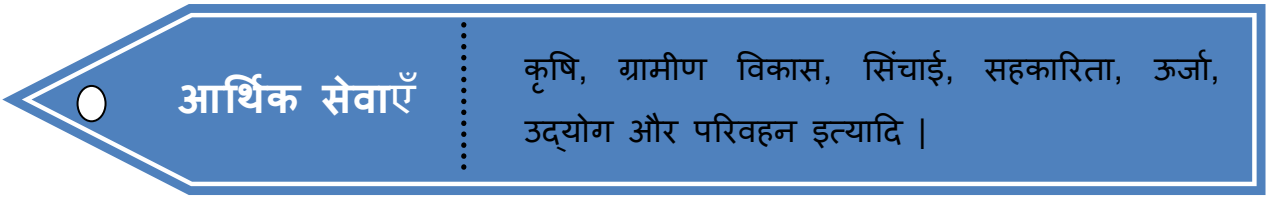

3.2 राजस्व व्यय

पिछले पांच वर्षों के दौरान विनियोग लेखे के अनुसार बजट अनुमानों के विरुद्ध राजस्व व्यय की कमी नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
बजट अनुमान	2,57,39	3,22,50	3,15,51	3,56,27	3,89,33
वास्तविक आँकड़े	2,30,86	2,52,72	2,90,83	3,21,96	3,28,59
अन्तर	26,53	69,78	24,68	34,31	60,74
बजट अनुमान से अन्तर का प्रतिशत	10	22	8	10	16

(स्रोत: सम्बंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

वर्ष 2019-20 के बजट अनुमानों (₹ 3,89,55.49 करोड़) के विरुद्ध राजस्व प्राप्तियों (₹ 3,04,22.57 करोड़) में कमी (21 प्रतिशत) के कारण, राज्य सरकार को राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम के सन्दर्भ में राजस्व अधिशेष सृजन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा |

वर्ष 2019-20 के दौरान कुल राजस्व व्यय का लगभग 66 *प्रतिशत* प्रतिबद्ध व्यय जैसे वेतन (₹ 1,17,14 करोड़), ब्याज भुगतान (₹ 45,04 करोड़), पेंशन (₹ 55,07 करोड़) और सब्सिडी (₹ 35 करोड़) पर किया गया |

पिछले पांच वर्षों में किए गए प्रतिबद्ध और अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय की स्थिति नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)

घटक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल राजस्व व्यय	2,30,86	2,52,72	2,90,83	3,21,96	3,28,59
प्रतिबद्ध राजस्व व्यय#	1,36,58	1,57,71	1,97,02	2,15,70	2,17,60
कुल राजस्व व्यय से प्रतिबद्ध राजस्व व्यय का प्रतिशत	59	62	68	67	66
अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय	94,28	95,01	93,81	1,06,26	1,10,99

प्रतिबद्ध राजस्व व्यय में वेतन, ब्याज, पेंशन और सब्सिडी भुगतान पर किया गया खर्च सम्मिलित है |

यह देखा जा सकता है कि 2019-20 के दौरान विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय में 17.72 *प्रतिशत* बढ़ोतरी के साथ वर्ष 2015-16 में ₹ 94,28 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में ₹ 1,10,99 करोड़ हो गया। कुल राजस्व व्यय 42.33 *प्रतिशत* बढ़ोतरी के साथ वर्ष 2015-16 में ₹ 2,30,86 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2019-20 में ₹ 3,28,59 करोड़ हो गया और इसी अवधि में प्रतिबद्ध राजस्व व्यय में 59.32 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई।

3.2.1 राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण (2019-20)

(₹ करोड़ में)

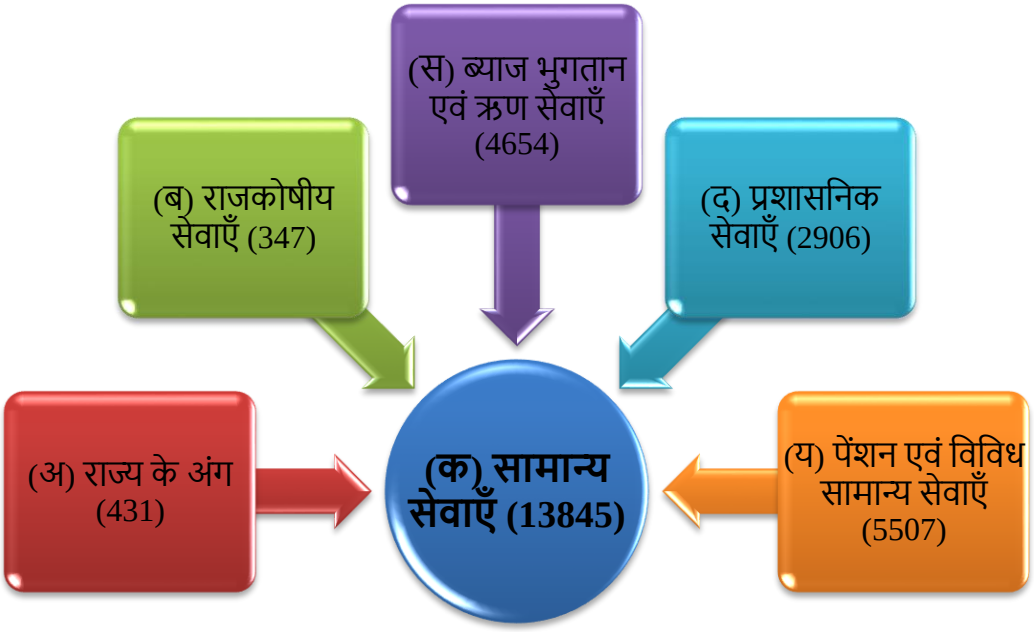

(द) उर्जा
(13)
(य) उद्योग एवं खनिज
(177)
(स) सिचाई एवं बाढ़ नियंत्रण
(424)
(र) परिवहन
(302)
(ब) ग्रामीण विकास
(1396)
(ल) विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण
(33)
(अ) कृषि एवं सम्बंधित गतिविधियाँ
(2264)
(ग) आर्थिक सेवाएँ
(4704)
(व) सामान्य आर्थिक सेवाएँ
(95)

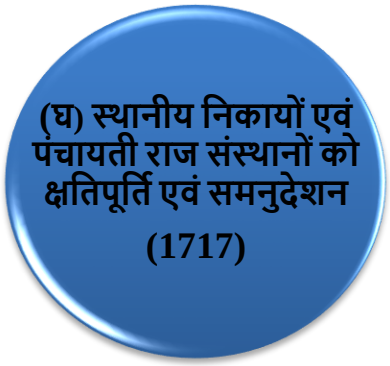
(घ) स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थानों को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन
(1717)

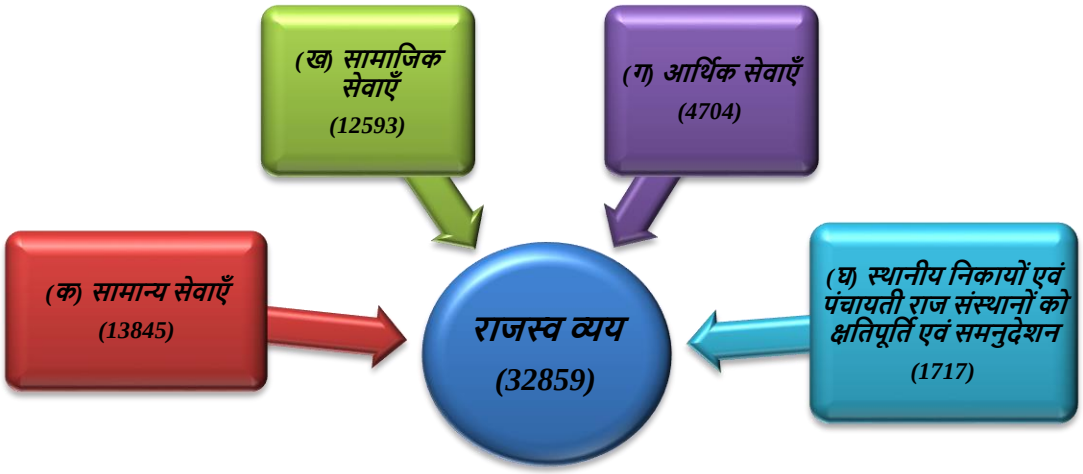
(ख) सामाजिक सेवाएँ
(12593)
(ग) आर्थिक सेवाएँ
(4704)
(क) सामान्य सेवाएँ
(13845)
राजस्व व्यय
(32859)
(घ) स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थानों को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन
(1717)

3.2.2 राजस्व व्यय के मुख्य घटक (2015-16 से 2019-20)

(₹ करोड़ में)

घटक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
सामाजिक सेवाएँ	99,27	1,05,29	1,09,29	1,22,09	1,25,93
आर्थिक सेवाएँ	39,83	39,03	42,76	50,03	47,04
ऋण सेवाएँ	30,21	37,83	39,87	44,75	46,54
सामान्य सेवाएँ (ऋण सेवाओं पर व्यय को छोड़कर)	53,89	61,51	84,22	90,50	91,91
स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थानों को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन	7,66	9,06	14,69	14,59	17,17

राजस्व व्यय के मुख्य घटकों की प्रवृति

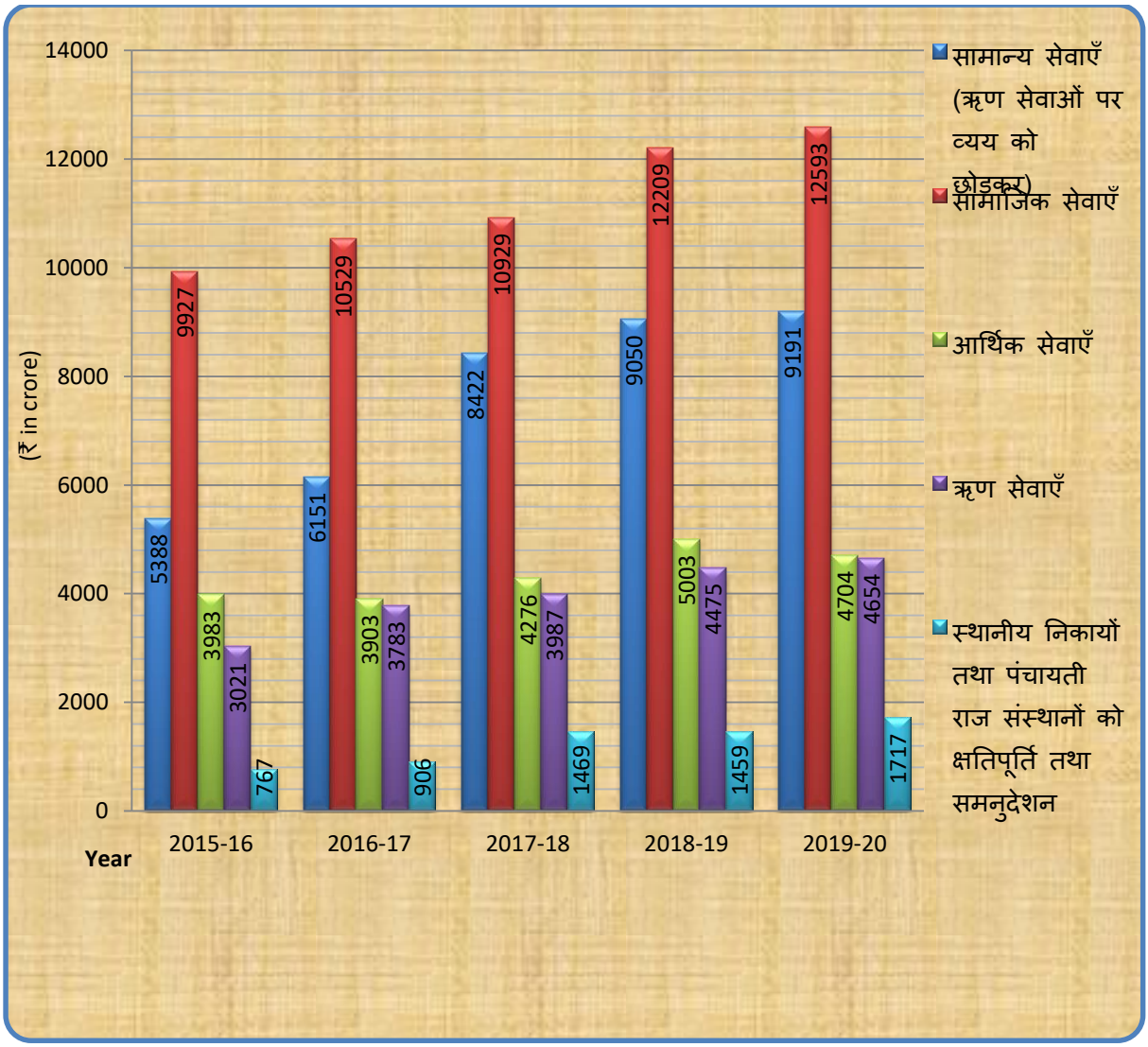

3.3 पूँजीगत व्यय

विकास प्रक्रिया को जारी रखना है तो पूँजीगत व्यय आवश्यक है| 2019-20 के दौरान पूँजीगत व्यय ₹ 54,14 करोड़ (जीएसडीपी का 2.02 *प्रतिशत*) था जो बजट अनुमान (₹ 65,72 करोड़) से ₹ 11,58 करोड़ कम था। वर्ष 2016-17 के बाद (वर्ष 2018-19 और 2019-20 को छोड़कर) पूँजीगत व्यय में वृद्धि ने सकल राज्य घरेलू उत्पाद की धीमी वृद्धि के साथ गति बनाए रखी है।

यह निम्न तालिका में देखा जा सकता है |

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	घटक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	बजट (बजट अनुमान)	40,05	57,44	55,14	65,84	65,72
2	वास्तविक व्यय (#)	42,17	49,54	59,14	61,84	54,14
3	बजट अनुमानों से वास्तविक व्यय की *प्रतिशतता*	105	86	107	94	82
4	पूँजीगत व्यय में वार्षिक वृद्धि	(-)15%	17%	19%	5%	(-) 12
5	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	17,71,63	19,51,25	22,28,36	24,58,95	26,80,25
6	सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वार्षिक वृद्धि	10 %	10 %	14 %	10 %	9

(#)ऋण और अग्रिम पर व्यय सम्मिलित नहीं है|

3.3.1 पूँजीगत व्यय का क्षेत्रवार वितरण

वर्ष 2019-20 के दौरान सरकार ने विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं पर ₹ 2,40 करोड़ (मुख्य सिंचाई पर ₹ 2,01 करोड़, मध्यम सिंचाई पर ₹ 8 करोड़ और लघु सिंचाई पर ₹ 31 करोड़) व्यय किये | इसके अतिरिक्त सरकार ने सड़कों एवं पुलों के निर्माण पर ₹ 9,15 करोड़ व्यय किये तथा सरकारी एवं अन्य कंपनियों और सहकारी समितियों में ₹ 1,33 करोड़ निवेश किये |

3.3.2 पिछले पांच वर्षों में पूँजीगत व्यय का क्षेत्रवार वितरण

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
सामान्य सेवाएँ	1,11(3)	72(1)	8,04(14)	4,54(7)	3,62 (7)
सामाजिक सेवाएँ	8,64(20)	9,48(19)	10,86(18)	10,99(17)	16,10 (29)
आर्थिक सेवाएँ	32,42(75)	39,34(77)	40,24(67)	46,31(73)	34,42 (62)
ऋण एवं अग्रिम	83(2)	1,65(3)	77(1)	1,83(3)	1,26 (2)
योग	43,00	51,19	59,91	63,67	55,40

नोट : कोष्ठक के आँकड़े कुल पूँजीगत व्यय के प्रतिशत को दर्शाते हैं |

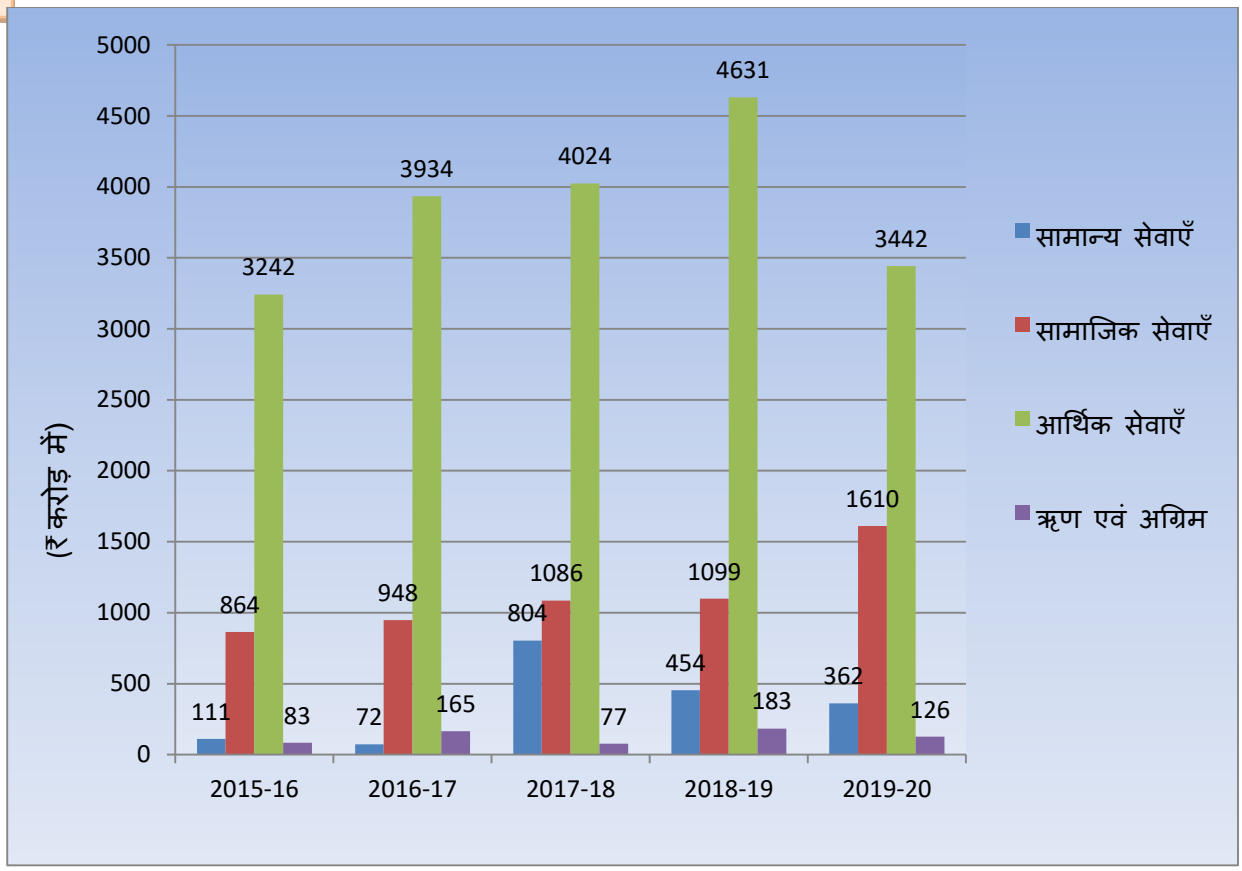

3.3.3 पूँजीगत एवं राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण

विगत पांच वर्षों में पूँजीगत और राजस्व व्यय का तुलनात्मक क्षेत्रवार विवरण निम्न दिखाया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र.संख्या	क्षेत्र		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
क	सामान्य सेवाएँ	पूँजीगत	1,11	72	8,04	4,54	3,62
		राजस्व	84,09	99,34	1,24,09	1,35,25	1,38,45
ख	सामाजिक सेवाएँ	पूँजीगत	8,64	9,48	10,86	10,99	16,10
		राजस्व	99,27	1,05,29	1,09,29	1,22,09	1,25,93
ग	आर्थिक सेवाएँ	पूँजीगत	32,42	39,34	40,24	46,31	34,42
		राजस्व	39,83	39,03	42,76	50,03	47,04
घ	सहायक अनुदान एवं अंशदान	पूँजीगत	*	*	*	*	*
		राजस्व	7,67	9,06	14,69	14,59	17,17

* अनुपलब्ध

3.4 प्रतिबद्ध व्यय

पिछले वर्ष की तुलना में 2019-20 में वेतन, पेंशन, सब्सिडी और ब्याज भुगतान पर व्यय में वृद्धि देखी गई :

प्रतिबद्ध व्यय की प्रवृति

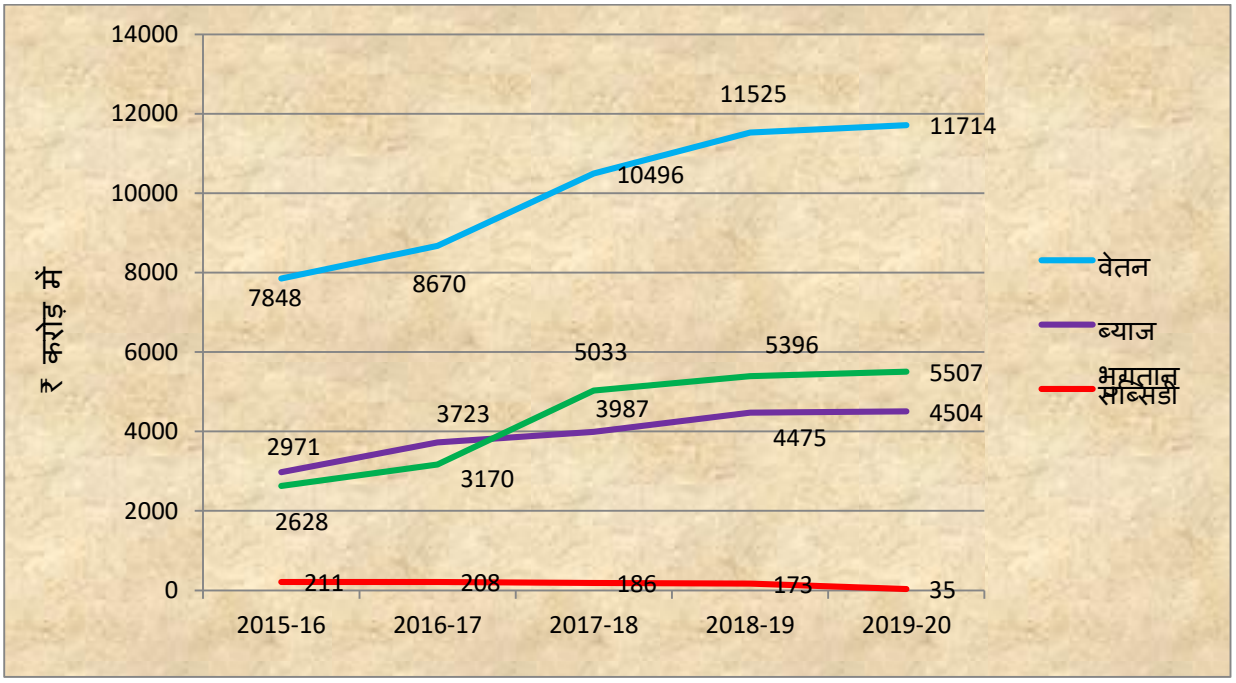

पिछले पांच वर्षों में राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों की तुलना में प्रतिबद्ध व्यय की प्रवृत्ति को नीचे दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

घटक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
प्रतिबद्ध व्यय	1,36,58	1,57,71	1,97,02	2,15,70	2,17,60
राजस्व व्यय	2,30,86	2,52,72	2,90,83	3,21,96	3,28,59
राजस्व प्राप्तियाँ	2,12,34	2,48,89	2,71,05	3,12,16	3,07,23
प्रतिबद्ध व्यय का राजस्व प्राप्तियों से *प्रतिशत*	64	63	73	69	71
प्रतिबद्ध व्यय का राजस्व व्यय से *प्रतिशत*	59	62	68	67	66

2015-16 से 2019-20 के लिए प्रतिबद्ध व्यय में 59 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि राजस्व व्यय में इसी अवधि के दौरान 42 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे सरकार को विकास कार्यों के लिए धन की कमी रही।

अध्याय 4
विनियोग लेखे

4.1 वर्ष 2019-20 के विनियोग लेखे का सारांश

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	व्यय का स्वरूप	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	अभ्यर्पण	योग	वास्तविक व्यय	बचत (–) आधिक्य (+)
1	राजस्व दत्तमत भारित	*3,31,58.08* *57,74.61*	*16,03.17* *3.17*	*250.86* *0.00*	*3,45,10.39* *57,77.78*	*2,81,29.02* *47,29.78*	*(-)63,81.37* *(-)10,48.00*
2	पूँजीगत दत्तमत भारित	*65,71.08* *1.00*	*927.56* *0.00*	*10.25* *0.00*	*74,88.39* *1.00*	*58,92.58* *0.00*	*(-)15,95.81* *(-)1.00*
3	लोक ऋण भारित	*28,76.31*	*0.00*	*0.00*	*28,76.31*	*9096.03*	*(+)62,19.72*
4	ऋण एवं अग्रिम दत्तमत	2,82.81	0.00	0.00	*2,82.81*	125.78	*(-)*157.03
	कुल योग	**4,86,63.89**	**25,33.90**	**2,61.11**	**5,09,36.68**	**4,79,73.19**	***(-)*29,63.49**

4.2 विगत पांच वर्षों के दौरान बचत / आधिक्य की प्रवृति

(₹ करोड़ में)

	बचत(-)/आधिक्य (+)				
वर्ष	**राजस्व**	**पूँजीगत**	**लोक ऋण**	**ऋण एवं अग्रिम**	**कुल**
2015-16	(-)46,64.04	(+) 9,88.15	(-)5,79.98	(-)88.95	**(-)43,44.82**
2016-17	(-)73,41.18	(+)3,58.67	(+)31,86.45	(-)2,45.97	**(-)40,42.03**
2017-18	(-) 44,71.73	(+) 3,62.39	(+) 50,11.39	(-) 1,93.52	**(+) 7,08.53**
2018-19	(-) 44,43.90	(-) 1,00.84	(+) 70,48.14	(-) 1,00.50	**(+) 24,02.90**
2019-20	(-)74,29.37	(-)15,96.81	(+)62,19.72	(-)1,57.03	**(-)29,63.49**

4.3 महत्वपूर्ण बचतें

अनुदान के तहत पर्याप्त बचत कुछ योजनाओं / कार्यक्रमों के या तो गैर-कार्यान्वयन या धीमे कार्यान्वयन को इंगित करती है। लगातार और महत्वपूर्ण शुद्ध बचत वाले कुछ अनुदान नीचे दिए गए हैं:-

(₹ करोड़ में)

अनुदान सं०	नामांकन	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	674	1360	969	645	504
12	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	547	484	592	539	610
13	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	475	590	364	661	577
15	कल्याण योजनाएँ	436	522	368	410	454
21	उर्जा	107	314	196	75	214
23	उद्योग	509	141	100	100	97
30	अनुसूचित जातियों का कल्याण	625	660	307	417	469
31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	179	197	126	176	180

2019-20 के दौरान, कुछ मामलों में ₹ 25,33.90 करोड़ (कुल मूल अनुदान का 5.21 प्रतिशत) का कुल अनुपूरक अनुदान अनावश्यक साबित हुआ, जहाँ मूल आवंटन के सापेक्ष साल के अंत में महत्वपूर्ण बचत हुई। कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं :

(₹ करोड़ में)

अनुदान सं०	नामांकन	अनुभाग	मूल बजट	वास्तविक व्यय	मूल बजट के सापेक्ष बचत	अनुपूरक बजट
03	4059-लोक निर्माण कार्य का पूँजीगत परिव्यय 60-अन्य भवन 800-अन्य व्यय 02-माननीय मुख्यमंत्री की घोषणाओं आदि हेतु एकमुश्त अनुदान	पूँजीगत दत्तमत	45.00	42.08	2.92	15.00

अनुदान सं०	नामांकन	अनुभाग	मूल बजट	वास्तविक व्यय	मूल बजट के सापेक्ष बचत	अनुपूरक बजट
04	2014- न्याय प्रशासन 105- सिविल और सेशन्स न्यायालय 03-जिला तथा सेशन न्यायाधीश	राजस्व दत्तमत	1,24.46	97.62	26.84	1.64
05	2015- निर्वाचन 103- निर्वाचन नियमावली तैयार करना और मुद्रण 05- चुनाव का स्थापना व्यय (50 प्रतिशत के0 पो0)	राजस्व दत्तमत	13.56	10.66	2.90	0.25
06	2029-भू-राजस्व 103-भू-अभिलेख 03-जिला अधिष्ठान	राजस्व दत्तमत	1,53.71	1,29.30	24.41	0.30
07	3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को प्रतिपूर्ति तथा समानुदेशन 02-पंचायती राज संस्थायें 198-ग्राम पंचायत 01- केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	राजस्व दत्तमत	5,70.44	5,29.89	40.55	69.03
10	2055- पुलिस 001-निदेशन तथा प्रशासन 03- मुख्यालय	राजस्व दत्तमत	47.14	43.76	3.38	2.61
10	4055-पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय 211-पुलिस आवास 09-पुलिस विभाग के आवासीय भवनों का निर्माण	पूँजीगत दत्तमत	3.00	2.58	0.42	1.00

अनुदान सं०	नामांकन	अनुभाग	मूल बजट	वास्तविक व्यय	मूल बजट के सापेक्ष बचत	अनुपूरक बजट
11	2202-सामान्य शिक्षा 03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 103-राजकीय कॉलेज तथा संस्थान 01- केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	राजस्व दत्तमत	25.00	12.38	12.62	5.00
12	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ - पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति 110-अस्पताल तथा औषधालय 01- केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	राजस्व दत्तमत	3,50.00	2,31.89	1,18.11	5.50
13	2217-शहरी विकास 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास 191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार को सहायता 01- केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	राजस्व दत्तमत	1,23.40	55.81	67.59	10.00
14	2220-सूचना तथा प्रसार 01-फिल्म 105-फिल्मों का निर्माण 06-फिल्म परिषद् की स्थापना	राजस्व दत्तमत	4.00	1.34	2.66	1.00

अनुदान सं०	नामांकन	अनुभाग	मूल बजट	वास्तविक व्यय	मूल बजट के सापेक्ष बचत	अनुपूरक बजट
15	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02-समाज कल्याण 200-अन्य कार्यक्रम 01- केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	राजस्व दत्तमत	35.10	0.60	34.50	2.20
15	4235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय 02-समाज कल्याण 102-बाल कल्याण 05-मुख्यमंत्री आंगनबाड़ी भवन निर्माण एवं उच्चीकरण योजना	पूँजीगत दत्तमत	7.00	6.88	0.12	3.00
17	2401-फसल कृषि कर्म 001- निदेशन तथा प्रशासन 04-कृषि विभाग का सामान्य अधिष्ठान	राजस्व दत्तमत	1,20.71	1,02.11	18.60	1.14
19	2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम 01- समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम 800- अन्य व्यय 01- केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	राजस्व दत्तमत	58.00	13.85	44.15	20.00
20	4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 051-निर्माण 01- केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	पूँजीगत दत्तमत	62.00	19.44	42.56	30.00

अनुदान सं०	नामांकन	अनुभाग	मूल बजट	वास्तविक व्यय	मूल बजट के सापेक्ष बचत	अनुपूरक बजट
21	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय 05-पारेषण एवं वितरण 190-सार्वजानिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश 06-पारेषण परियोजनाओ हेतु निवेश	पूँजीगत दत्तमत	50.00	38.00	12.00	10.00
22	3054-सड़क तथा सेतु 04-जिला एवं अन्य सड़के 337-सड़क निर्माण कार्य 03-अनुरक्षण एवं मरम्मत	राजस्व दत्तमत	2,51.98	1,82.47	69.51	50.00
23	2851-ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग 102- लघु उद्योग 38-इज ऑफ़ डूइंग बिजनेस	राजस्व दत्तमत	4.00	3.13	0.87	4.00
24	5053-नागरिक विमानन पर पूँजीगत परिव्यय 02-विमान पत्तन 102-हवाई अड्डा 07-हवाई पट्टी के निर्माण/विस्तार हेतु अधिग्रहित भूमि प्रतिकार का भुगतान	पूँजीगत दत्तमत	5.00	0.00	5.00	13.00
26	5452-पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय 80-सामान्य 104-संवर्धन तथा प्रचार 04-राज्य क्षेत्र	पूँजीगत दत्तमत	35.10	16.69	18.41	7.00

अनुदान सं०	नामांकन	अनुभाग	मूल बजट	वास्तविक व्यय	मूल बजट के सापेक्ष बचत	अनुपूरक बजट
27	2406- वानिकी तथा वन्य जीवन 101- वन संरक्षण विकास तथा सम्पोषण 01- केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	राजस्व दत्तमत	7.00	1.27	5.73	25.00
28	4405-मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय 101-अन्तर्देशीय मछली पालन 01- केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	पूँजीगत दत्तमत	7.79	2.62	5.17	3.00
30	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण 01- अनुसूचित जातियों का कल्याण 277-शिक्षा 01- केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	राजस्व दत्तमत	1,57.00	49.95	1,07.05	2.00
31	2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण 02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 277-शिक्षा 07-सहायता प्राप्त पुस्तकालयों/छात्रावासों एवं प्राथमिक पाठशालाओं हेतु अनुदान	राजस्व दत्तमत	8.00	3.28	4.72	1.00

कुछ उदाहरण, जहां अनुपूरक आवंटन किए जाने के बाद भी वर्ष के अंत में अधिक व्यय हुआ, नीचे दिए गए हैं

(₹ करोड़ में)

अनुदान सं०	नामांकन	अनुभाग	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	वास्तविक व्यय	कुल बजट के सापेक्ष आधिक्य
06	2029-भू-राजस्व 101-संग्रहण प्रभार 03- भू-राजस्व (माल गुजारी) तकावी नहर और अन्य प्रकीर्ण सरकारी देय धनराशी का संग्रहण प्रभार	राजस्व दत्तमत	59.94	6.70	66.64	68.07	1.43
10	2055-पुलिस 001-निदेशक तथा प्रशासन 16- कुम्भ/अर्धकुम्भ मेला व्यवस्था	राजस्व दत्तमत	2.91	0.14	3.05	4.05	1.00
15	2250-अन्य सामाजिक सेवाएँ 800-अन्य व्यय 15-मदरसा अरबी फारसी बोर्ड	राजस्व दत्तमत	0.56	0.13	0.69	0.89	0.20
17	2401-फसल कृषि कर्म 108-वाणिज्यिक फसलें 08-अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान	राजस्व दत्तमत	2,15.00	46.77	2,61.77	2,62.09	0.32

अनुदान सं०	नामांकन	अनुभाग	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	वास्तविक व्यय	कुल बजट के सापेक्ष आधिक्य
30	4215-जल आपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय 01-जल आपूर्ति 102-शहरी जल आपूर्ति 01- केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	पूँजीगत दत्तमत	20.00	18.46	38.46	55.77	17.31
31	4215- जल आपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय 01-जल आपूर्ति 102-शहरी जल आपूर्ति 01- केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	पूँजीगत दत्तमत	4.40	2.15	6.55	12.91	6.36

अध्याय 5

परिसम्पतियाँ एवं देयताएं

5.1 परिसम्पतियाँ

लेखों का मौजूदा रूप, अधिग्रहण/खरीद के वर्ष को छोड़कर, शासकीय परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन आदि का मूल्यांकन स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाता है | इसी प्रकार, लेखे वर्तमान वर्ष में उत्पन्न होने वाली देनदारियों का प्रभाव प्रस्तुत करते हैं परन्तु वे भावी पीढ़ियों पर पड़ने वाले दायित्वों के समग्र प्रभाव को नहीं दर्शाते | वे केवल एक सीमा तक ब्याज की दर तथा मौजूदा ऋण की अवधि को दर्शाते हैं |

वर्ष 2019-20 के अंत में गैर वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में शेयर पूंजी के रूप में कुल निवेश ₹ 35,34.95 करोड़ था | हालांकि, वर्ष के दौरान कुल निवेश पर प्राप्त लाभांश ₹ 14.08 करोड़ (0.40 *प्रतिशत*) था | वर्ष 2019-20 के दौरान निवेश में ₹ 1,32.50 करोड़ की वृद्धि हुई, जबकि लाभांश आय में ₹ 4.61 करोड़ की कमी हुई|

1 अप्रैल 2019 को भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद शेष राशि ₹ 11,58.50 करोड़ थी और जो मार्च 2020 के अंत में घटकर ₹ 5,95.25 करोड़ हो गई। इसके अलावा, वर्ष 2019-20 के दौरान सरकार ने 14 दिनों के कोषागार बिलों में 84 अवसरों पर ₹ 2,10,42.59 करोड़ की राशि का निवेश किया है और 127 अवसरों पर ₹ 2,12,90.07 करोड़ के कोषागार बिलों को पुनः बट्टा चुकाया । वर्ष 2019-20 के दौरान निवेश की स्थिति को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है :

(₹ करोड़ में)

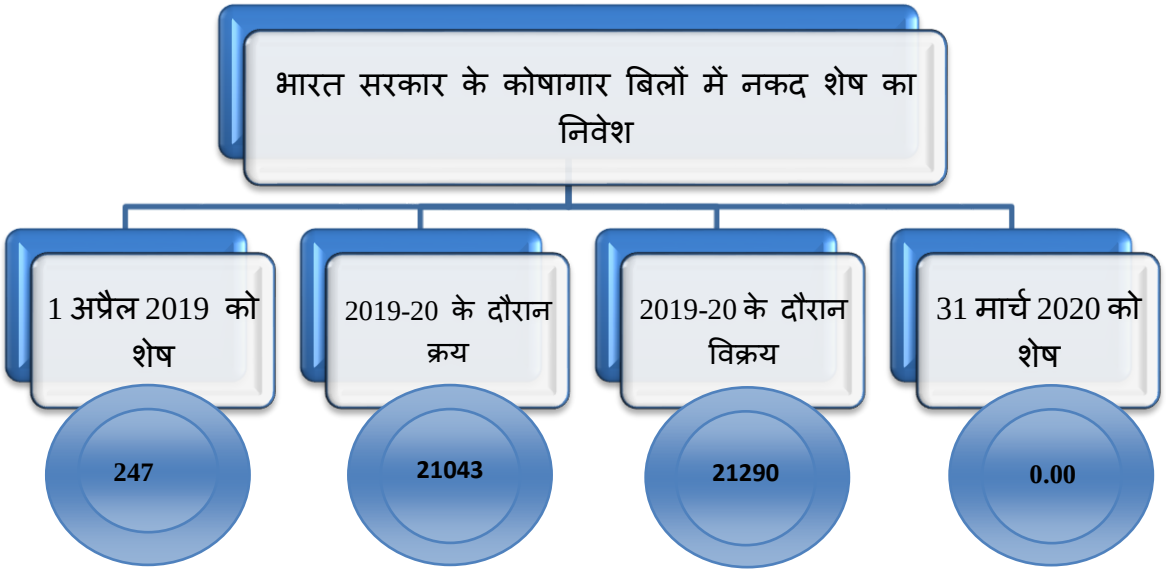

5.2 ऋण एवं दायित्व

भारत के संविधान का अनुच्छेद 293 राज्य सरकार को समेकित निधि की अभिरक्षा पर उधार लेने का अधिकार देता है। भारत सरकार समय-समय पर यह निर्धारित करती है कि राज्य सरकार किस सीमा तक बाजार से ऋण ले सकती है। 2019-20 के लिए उधार की निर्धारित सीमा ₹ 80,40.75 करोड़ (जी.एस.डी.पी. का 3 प्रतिशत) थी | इनके सापेक्ष, उत्तराखण्ड सरकार ने ₹ 79,42.90 करोड़ का कुल शुद्ध उधार लिया है|

राज्य सरकार के लोक ऋण और कुल दायित्वों का विगत पाँच वर्षों का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लोक ऋण *(₹ करोड़ में)*	जीएसडीपी से *प्रतिशत*	लोक लेखा *(₹ करोड़ में)* (*)	जीएसडीपी से *प्रतिशत*	कुल देनदारियाँ *(₹ करोड़ में)*	जीएसडीपी से *प्रतिशत*
2015-16	2,98,36	17	91,96	5	3,90,32	22
2016-17	3,52,10	18	93,73	5	4,45,83	23
2017-18	4,10,15	18	1,08,16	5	5,18,31	23
2018-19	4,62,33	19	1,18,06	5	5,80,39	24
2019-20	5,02,49	19	1,57,33	6	6,59,82	25

(*) उचन्त और प्रेषण शेष सम्मिलित नहीं है |

नोट: आंकड़े वर्ष के अंत तक प्रगामी शेष हैं |

लोक ऋण और अन्य देनदारियों में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2019-20 में ₹ 79,43 (14 *प्रतिशत*) की शुद्ध वृद्धि हुई।

सरकारी दायित्वों की प्रवृति

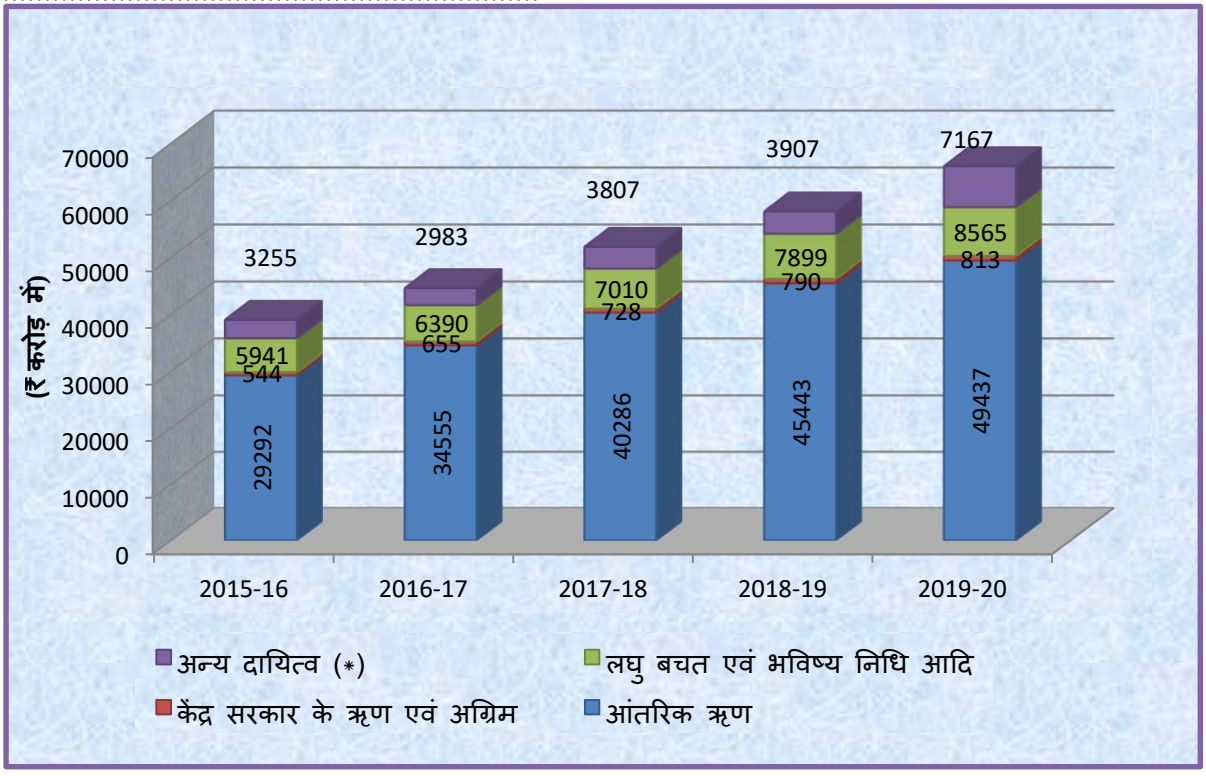

(*) ब्याज और बिना ब्याज की देयताएं जैसे स्थानीय निधि में जमा, अन्य उद्दिष्ट निधियाँ इत्यादि |

5.3 प्रत्याभूतियाँ

सीधे ऋण जुटाने के अलावा, राज्य सरकार, विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए बाजार और वित्तीय संस्थानों से सरकारी कंपनियों और निगम द्वारा उठाए गए ऋणों की गारंटी भी देती है। संवैधानिक निगमों, सरकारी कंपनियों तथा निगमों, सहकारी समितियों आदि द्वारा लिए गये ऋण, पूँजी तथा उस पर ब्याज के भुगतान की अदायगी के राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियाँ, उनके न चुका पाने की स्थिति में राज्य सरकार की समेकित निधि पर उत्तरदायित्व है तथा इन प्रत्याभूतियों को राज्य बजट से बाहर पेश किया गया है। जिस सीमा तक राज्य सरकार द्वारा जानकारी प्रस्तुत की गई थी, सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूति पर वित्त लेखे के विवरण 9 और 20 को IGAS 1 की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया गया है । राज्य सरकार ने बकाया प्रत्याभूतियों पर सीमित जानकारी प्रदान की है। गारंटी कमीशन द्वारा प्राप्य/ प्राप्त प्रत्याभूतियों की अधिकतम धनराशि जो वर्ष के दौरान जोड़ी/आवहानित/ख़ारिज/ख़ारिज नहीं की गई, से सम्बंधित अधूरी जानकारी राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है। विवरण में निहित जानकारी उस सीमा तक अधूरी है |

सांविधिक निगम, सरकारी कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों आदि द्वारा उठाए गए ऋणों (मूलधन और उस पर ब्याज) के पुनः भुगतान के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की स्थिति नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष के अन्त में	प्रत्याभूति की अधिकतम राशि (केवल मूलधन)	वर्ष के अंत तक बकाया धनराशि	
		मूलधन	ब्याज
2015-16	28,05(*)	17,43	सूचना उपलब्ध नहीं
2016-17	28,05(*)	12,58	सूचना उपलब्ध नहीं
2017-18	21,05(*)	11,73	सूचना उपलब्ध नहीं
2018-19	21,05(*)	13,11	सूचना उपलब्ध नहीं
2019-20	(#)	5,82	सूचना उपलब्ध नहीं

(*)राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई आंशिक जानकारी के आधार पर गणना की गई|

(#) राज्य सरकार द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई |

अध्याय 6
अन्य मदें

6.1 आंतरिक ऋण के अंतर्गत प्रतिकूल शेष

राज्य सरकार की उधारियाँ भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के अंतर्गत अधिशासित होती है | प्रत्यक्ष रूप से ऋण जुटाने के अतिरिक्त, राज्य सरकार सरकारी कंपनियों और निगम द्वारा विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों, जिन्हें राज्य बजट से बाहर प्रक्षेपित किया जाता है, के कार्यान्वयन के लिए बाजार और वित्तीय संस्थानों से उठाए गए ऋणों की गारंटी भी देती है । इन ऋणों को संबंधित प्रशासनिक विभागों में प्राप्तियों के रूप में लिया जाता है और सरकार के दस्तावेजों में ये दिखाई नहीं देते | हालांकि, ऋण की वापसियों को सरकारी लेखों में लिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप सरकार के लेखों में असंगत प्रतिकूल शेष और कम देनदारियाँ प्रदर्शित होती हैं । 31 मार्च 2020 तक उत्तराखण्ड राज्य के द्वारा दिए गये ऋणों एवं अग्रिमों के शेष मिलान प्रक्रिया के अधीन हैं।

6.2 राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम

राज्य सरकार के विभाग सरकारी सेवकों सहित विभिन्न लाभार्थियों को दिए गए ऋण और अग्रिमों का विस्तृत लेखा-जोखा रखते हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी की सीमा तक सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिमों पर वित्त लेखे के विवरण संख्या 7 और 18 को IGAS 3 की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया गया है । राज्य सरकार के विभागों ने सदा के लिए स्वीकृत ऋणों के बकाया मूलधन का विवरण प्रस्तुत नहीं किया है । परिणामस्वरूप, IGAS 3 की आवश्यकताओं को इन लेखों में पूरा नहीं किया गया है। सरकार को विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य निकायों की दस्तावेजों में उपलब्ध ऋण और अग्रिम आँकड़ों को वित्त लेखे के आँकड़ों के साथ मिलान करने की आवश्यकता है, जो नहीं किया गया है |

वर्ष 2019-20 के अंत तक राज्य सरकार द्वारा दिये गए कुल बकाया ऋण और अग्रिम ₹ 20,33.40 करोड़ थे। इसमें से, सरकारी निगमों/ कंपनियों, गैर सरकारी संस्थानों और स्थानीय निकायों को ₹ 19,87.56 करोड़ ऋण और अग्रिम दिए गए। राज्य सरकार द्वारा बकाया ब्याज की वसूली से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई । वर्ष 2019-20 के दौरान केवल ₹ 18.92 करोड़ ऋणों और अग्रिमों के पुनर्भुगतान हेतु प्राप्त हुए थे, जिनमें से ₹ 1.30 करोड़ सरकारी सेवकों के ऋण के पुनर्भुगतान से सम्बंधित हैं। बकाया ऋणों की वसूली के लिए उठाये गये प्रभावी कदमों से सरकार को अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करने में मदद मिलेगी।

स्वीकृती के लिए राज्य सरकार को वार्षिक शेष राशि के बारे में सूचित किया जाता है। वर्ष 2001-02 से वर्ष 2019-20 तक लेखों के निम्न चार मुख्य शीर्षों से संबंधित ₹ 34,74.94 करोड़ की 344 स्वीकृतियां बहुप्रतीक्षित हैं | अवशेष मिलान के अधीन हैं |

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	वांछित स्वीकृतियों की संख्या	राशि
1.	6401-फसल कृषिकर्म हेतु ऋण	08	4,73.82
2.	6425-सहकारिता हेतु ऋण	101	126.78
3.	6801- विद्युत् परियोजनाओ हेतु ऋण	226	28,55.65
4.	7055-सड़क परिवहन हेतु ऋण	09	18.69
योग		**344**	**34,74.94**

6.3 स्थानीय निकायों एवं अन्य को वित्तीय सहायता

भारत सरकार के लेखा मानक (IGAS) 2 के अनुसार सहायक अनुदान पर व्यय अनुदानदाता के दस्तावेजों में राजस्व व्यय के रूप में और अंत उपयोग की परवाह किये बिना प्राप्तकर्ता के दस्तावेजों में राजस्व प्राप्ति के रूप में दर्ज किया जाता है। उत्तराखण्ड सरकार ने राजस्व अनुभाग के अलावा पूँजीगत अनुभाग में भी राज्य सरकार की इकाइयों को सहायक अनुदान के रूप में धन का परिचालन और आवंटन जारी रखा। वर्ष 2019-20 के दौरान इस तरह के अनुदान छः पूँजीगत मुख्य लेखाशीर्षों के अंतर्गत दिए गए । इसने भारत सरकार द्वारा अधिसूचित भारत सरकार के लेखा मानक (IGAS) 2 का उल्लंघन किया जिसमें यह कहा गया है कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से अधिकृत मामलों को छोड़कर संपत्ति सृजन के उद्देश्य से सहायक अनुदान पर व्यय को सरकार के वित्तीय विवरणों में पूँजीगत लेखाशीर्षों से डेबिट नहीं किया जायेगा है। इसके अलावा, IGAS-2 की आवश्यकताओं में से एक सहायक अनुदान का प्रवृतिवार चित्रण है, जिसके बारे में राज्य सरकार द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई है |

स्थानीय निकायों, स्वायत्त निकायों आदि को दिए गये अनुदान की राशि 2015-16 में ₹ 35,95.77 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में ₹ 48,00.18 करोड़ हो गई। जिला परिषदों, पंचायती राज संस्थानों, नगर निगम/ नगर पालिकाओं को दिए गये अनुदान (₹ 17,16.66 करोड़) वर्ष के दौरान दिए गए सकल अनुदानों (पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों के अलावा) का 35.75 *प्रतिशत* है । विगत पांच वर्षों में दिए गये सहायक अनुदानों का विवरण इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संस्था का नाम	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1.	जिला परिषद् एवं पंचायती राज संस्थाएँ	4,32.46	5,08.41	7,15.20	7,42.26	9,02.04
2.	नगर निगम और नगर पालिकाएँ	3,34.11	3,97.77	7,53.33	7,17.07	8,14.62
3.	विश्वविद्यालय और शैक्षिक संस्थान	39.49	28.04	26.45	26.00	27.27
4.	विकास एजेंसियाँ	3,92.89	3,56.95	2,36.74	3,00.91	2,16.11
5.	अस्पताल और अन्य धर्मार्थ संस्थान	12,87.78	12,12.27	6,25.47	7,56.17	4,05.22
6.	अन्य संस्थान	11,09.04	13,46.79	13,06.62	19,23.37	24,34.92
	कुल	**35,95.77**	**38,50.23**	**36,63.81**	**44,65.78**	**48,00.18**

प्रदत्त सहायक अनुदान

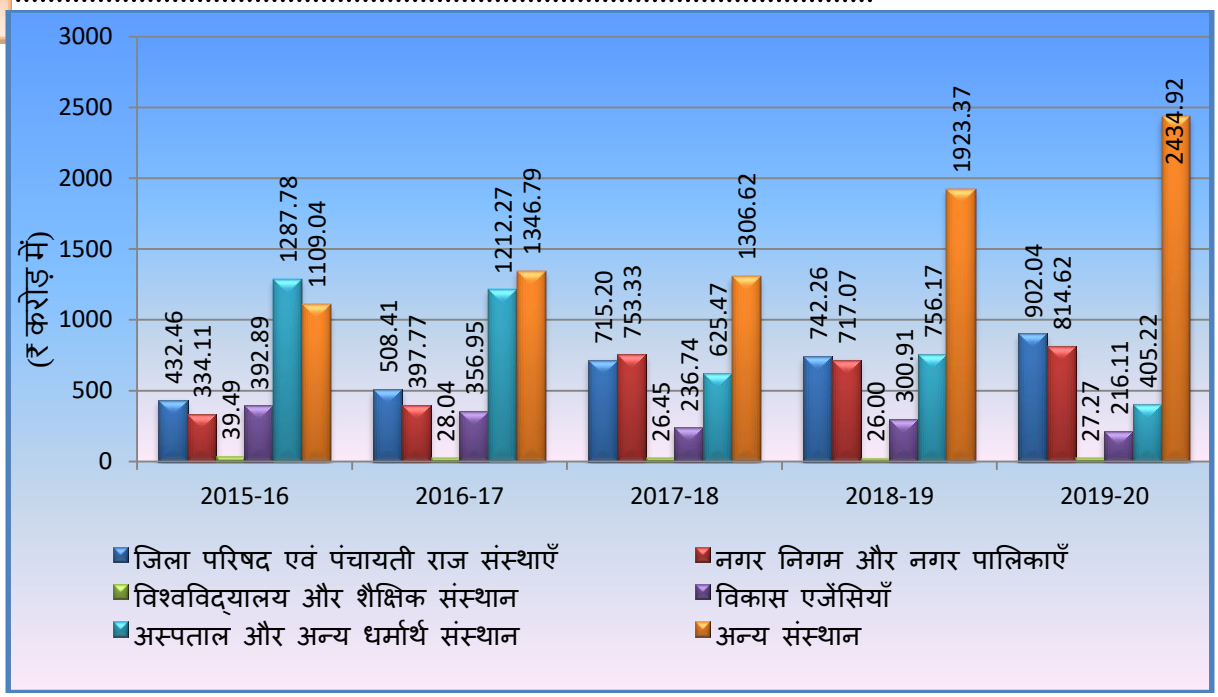

विगत पांच वर्षों में परिसम्पतियों के सृजन के लिए सहायक अनुदान का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	संस्थानों का नाम	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1.	जिला परिषद् एवं पंचायती राज संस्थाएँ	...	...	...	...	...
2.	नगर निगम और नगर पालिकाएँ	...	...	...	...	...
3.	विश्वविद्यालय और शैक्षिक संस्थान	13.22	4.75	4.00	5.50	12.64
4.	विकास एजेंसियाँ	...	...	...	...	...
5.	अस्पताल और अन्य धर्मार्थ संस्थान	...	...	...	...	...
6.	अन्य संस्थान	518.74	544.80	712.52	6,10.21	541.34
	योग	**531.96**	**549.55**	**716.52**	**615.71**	**553.98**

6.4 रोकड़ शेष और रोकड़ शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

घटक	1 अप्रैल 2019 को स्थिति	31 मार्च 2020 को स्थिति	शुद्ध वृद्धि (+)/ कमी (-)
रोकड़ शेष	11,58.50	5,95.25	(-) 5,63.25
रोकड़ शेष से निवेश (भारत सरकार के ट्रेजरी बिल)	2,47.48	0.00	(-) 2,47.48
उद्दिष्ट निधि के शेषों से निवेश	11,88.62	13,38.62	(+) 1,50.00
(अ) निक्षेप निधि	11,53.62	13,03.62	(+) 1,50.00
(ब) प्रत्याभूति विमोचन निधि	35.00	35.00	0.00
वर्ष के दौरान वसूला गया ब्याज	10.49	21.73	(+) 11.24

विभागीय अधिकारियों जैसे सार्वजनिक कार्य विभाग के अधिकारियों, वन विभाग के अधिकारियों, जिला कलेक्टरों के पास ₹ 10.71 करोड़ नगद शेष था एवं विभागीय अधिकारी के पास आकस्मिक खर्च के लिए स्थायी अग्रिम ₹ 0.81 करोड़ था | 31 मार्च 2020 के अन्त तक राज्य सरकार का अन्तिम रोकड़ शेष नकारात्मक रहा | रोकड़ शेष के निवेश पर ब्याज में वृद्धि 107.15 *प्रतिशत* के साथ वर्ष 2018-19 के ₹ 10.49 करोड़ की तुलना में वर्ष 2019-20 में ₹ 21.73 करोड़ की ब्याज प्राप्ति हुई |

6.5 लेखाओं का मिलान

कुशलतापूर्वक नियंत्रण, उसे बजट अनुदान के भीतर रखने के लिए और उनके लेखों की गुणवता सुनिश्चित करने के लिए, सभी मुख्य नियंत्रक अधिकारी (CCO) / नियंत्रक अधिकारियों (COs) को उनके दस्तावेजों में प्रत्येक माह दर्ज प्राप्तियों और व्यय के आंकड़ों का मिलान महालेखाकार कार्यालय (ले0 एवं हक0) के आंकड़ों के साथ मिलान कराना आवश्यक है। प्राप्तियों के आंकड़ों के इस तरह के मिलान को 48 मुख्य नियंत्रक अधिकारियों में से 37 मुख्य नियंत्रक अधिकारियों (6 द्वारा पूर्ण एवं 31 द्वारा आंशिक) (77.08 *प्रतिशत*) ने पूरा किया है और 62 मुख्य नियंत्रक अधिकारियों में से केवल 49 मुख्य नियंत्रक अधिकारियों (7 द्वारा पूर्ण एवं 42 द्वारा आंशिक) (79.03 *प्रतिशत*) ने व्यय के आंकड़ों का मिलान किया।

6.6 लेखा प्रेषित करने वाली इकाइयों द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण

वित्त लेखे 2018-19 उत्तराखण्ड सरकार के 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 की अवधि के लेनदेनों को प्रस्तुत करता है। 20 कोषागार, 114 लोक निर्माण प्रभाग, 57 वन प्रभाग, 85 सिंचाई और अन्य प्रभागों से प्राप्त प्रारंभिक लेखों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों के आधार पर उत्तराखण्ड सरकार के प्राप्तियों और व्यय के लेखे संकलित किये गये हैं। राज्य सरकार की लेखा प्रतिपादन इकाइयों द्वारा मासिक लेखों का प्रेषण संतोषजनक था और वित्तीय वर्ष के अंत में कोई भी लेखा असमायोजित नहीं रखा गया ।

6.7 असमायोजित सार आकस्मिक बिल

जब धन की आवश्यकता अग्रिम रूप में होती है या जब आहरण एवं वितरण अधिकारी धन की वास्तविक आवश्यकता की गणना करने में असमर्थ होता है, तो वे आधारभूत दस्तावेजों के बिना ही एसी बिल के माध्यम, सेवा शीर्ष को डेबिट करके सेवा शीर्ष के तहत व्यय दर्शाते हुए धन का आहरण कर सकते हैं | विस्तृत आकस्मिक बिल एक माह के अन्दर महालेखाकार (ले० एवं हक०) को प्रस्तुत न करने पर इन धनराशियों को आपत्ति के अंतर्गत रखा जाता है | विलंब से प्रस्तुत या लंबे समय तक डीसी बिल जमा नहीं करने से लेखे की पूर्णता और शुद्धता प्रभावित हो सकती है।

31मार्च 2020 तक आपत्ति, लम्बित समायोजन के तहत एसी बिलों की स्थिति नीचे दी गई है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आहरित आकस्मिक बिल		समायोजित आकस्मिक बिल		अवशेष बिल	
	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
2017-18 तक	1753	128.11	1737	127.52	16	0.59
2018-19	19	0.73	25	0.76	10	0.56
2019-20	61	6.03	34	3.58	37[1]	3.01
योग	1833	134.87	1796	131.86		

मुख्य चूक करने वाले विभाग / डीडीओ जिन्होंने डीसी बिल जमा नहीं किए हैं, परियोजना अधिकारी, अल्मोड़ा (₹ 0.63 करोड़, 20.93 *प्रतिशत*), मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़ (₹ 0.43 करोड़, 14.29 *प्रतिशत*), मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, चम्पावत (₹ 0.43 करोड़, 14.29 *प्रतिशत*), जिला युवा कल्याण अधिकारी नई टिहरी (₹ 0.41 करोड़, 13.62 *प्रतिशत*) हैं |

6.8 उचन्त एवं प्रेषण शेषों की स्थिति

वित्त लेखे उचन्त और प्रेषण शीर्षों के तहत शुद्ध शेष राशि को दर्शाते हैं। इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष राशि का विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत अलग से बकाया डेबिट और क्रेडिट शेषों को मिलाकर तैयार किया गया है| पिछले चार वर्षों के लिए मुख्य शीर्ष 8658- उचन्त लेखा और 8782- प्रेषण के तहत सकल डेबिट और क्रेडिट शेष के रूप में दिखाए गए महत्वपूर्ण उचन्त मदों का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष का नाम	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
8658-उचन्त लेखा								
101-वेतन एवं लेखा कार्यालय-उचन्त	21.87	3.18	8.27	(-)38.97	30.38	3.45	54.71	3.61
शुद्ध	**(नामे) 18.69**		**(नामे) 47.24**		**(नामे) 26.93**		**(नामे) 51.10**	
102-**उचन्त लेखा (सिविल)**	565.00	367.15	552.63	409.83	549.40	368.32	566.35	411.83
शुद्ध	**(नामे) 197.85**		**(नामे) 142.80**		**(नामे) 181.08**		**(नामे) 154.52**	
107- रोकड़ समाशोधन उचन्त लेखा	3.16	0.26	3.16	0.26	3.16	0.26	966.77	885.52
शुद्ध	**(नामे) 2.90**		**(नामे) 2.90**		**(नामे) 2.90**		**(नामे) 81.25**	
110- रिज़र्व बैंक उचन्त केन्द्रीय लेखा कार्यालय	261.96	219.61	219.66	219.61	214.67	219.61	214.67	219.61
शुद्ध	**(नामे) 42.35**		**(नामे) 0.05**		**(जमा) 4.94**		**(जमा) 4.94**	
112-स्रोत पर कर कटौती उचन्त	28.03	146.75	28.03	198.81	28.03	315.31	28.03	266.57

[1] इसमें वर्ष 2018-19 से सम्बंधित ₹ 0.27 करोड़ के 4 आकस्मिक बिल एवं वर्ष 2019-20 से सम्बंधित ₹ 2.74 करोड़ के 33 आकस्मिक बिल सम्मिलित हैं |

शुद्ध	(जमा) 118.72		(जमा) 170.78		(जमा) 287.28		(जमा) 238.54	
113-भविष्य निधि उचन्त	24.72	25.14	24.74	25.47	24.75	24.78	24.75	24.64
शुद्ध	(जमा) 0.42		(जमा) 0.73		(जमा) 0.03		(नामे) 0.11	
117-रिज़र्व बैंक की ओर से लेन-देन	18.12	16.63	18.12	17.94	18.12	17.94	18.12	17.94
शुद्ध	(नामे) 1.49		(नामे) 0.18		(नामे) 0.18		(नामे) 0.18	
123-अ0 भा0 से0 के अधिकारियों की समूह बीमा योजना	0.21	0.45	0.25	0.48	0.27	0.50	0.29	0.53
शुद्ध	(जमा) 0.24		(जमा) 0.23		(जमा) 0.23		(जमा) 0.24	
129-सामग्री क्रय समाशोधन उचन्त लेखा	0.03	-0.73	0.03	-0.73	0.03	(-) 0.73	0.03	(-) 0.73
शुद्ध	(नामे) 0.76		(नामे) 0.76		(नामे) 0.76		(नामे) 0.76	
8782- उसी लेखा अधिकारी को लेखा भेजने वाले अधिकारियों के बीच नकद प्रेषण तथा समायोजन								
102-लोक निर्माण प्रेषण	2653.10	2759.28	1283.25	1406.60	277.17	398.86	296.13	372.74
शुद्ध	(जमा) 106.18		(जमा) 123.35		(जमा) 121.69		(जमा) 76.61	
103- वन प्रेषण	38.70	67.40	246.94	253.29	100.93	126.41	107.23	166.92
शुद्ध	(जमा) 28.70		(जमा) 6.35		(जमा) 25.48		(जमा) 59.72	
8793-अन्तर्राज्यीय उचन्त लेखा	2086.73	1309.31	2071.79	1309.85	2090.76	2012.46	2087.89	2013.35
शुद्ध	(नामे) 777.42		(नामे) 761.94		(नामे) 78.30		(नामे) 74.54	

6.9 बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति

जहां विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अनुदान मंजूर किए जाते हैं, संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्धारित अवधि के भीतर महालेखाकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। निर्दिष्ट अवधि के बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र का बकाया रहना अपेक्षित उद्देश्यों के लिए अनुदान के उपयोग पर आश्वासन के अभाव को दर्शाता है। महालेखाकार (ले० एवं हक०) के दस्तावेजों के अनुसार बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का विवरण निम्न है :-

वर्ष	वांछित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की संख्या	धनराशि *(₹ करोड़ में)*
2017-18 तक	07	9.48
2018-19	45	89.96
2019-20#	149	1537.25
कुल	**201**	**1636.69**

वर्ष 2019-20 में लिए गये सहायक अनुदानों से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र वर्ष 2020-21 में देय होंगे सिवाय वहां के जहाँ स्वीकृति आदेश में अन्यथा ना दिया गया हो |

	मुख्य चूक करने वाले विभाग (वर्ष 2017-18 और 2018-19 हेतु)	Amount (₹ करोड़ में)	*प्रतिशत*
2017-18	जिला पंचायत राज अधिकारी, देहरादून	8.21	86.60
	वरिष्ठ वित्त अधिकारी, नगर निगम, रुड़की	0.45	4.75
2018-19	जिला पंचायत राज अधिकारी, पिथौरागढ़	46.47	51.66
	जिला पंचायत राज अधिकारी, चम्पावत	16.31	18.13
	जिला पंचायत राज अधिकारी, नैनीताल	16.31	18.13
	जिला पंचायत राज अधिकारी, देहरादून	3.85	4.28
	मुख्य विकास अधिकारी, चम्पावत	3.48	3.87

6.10 अपूर्ण पूँजीगत कार्यों के कारण प्रतिबद्धताएँ

वित्त लेखे के खंड II में परिशिष्ट IX के अनुसार राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 तक विभिन्न 210 अपूर्ण परियोजनाओं पर वास्तविक अनुमानित लागत ₹ 6,27.08 करोड़ के विरुद्ध कुल ₹ 7,38.65 करोड़ व्यय किया गया ।

अपूर्ण पूँजीगत कार्यों' के कारण प्रतिबद्धताओं पर एक सारांशित दृश्य नीचे प्रस्तुत किया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कार्यों की श्रेणी (कार्यों की संख्या)	कार्य की अनुमानित लागत	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अन्त तक प्रगामी व्यय	बकाया भुगतान	संशोधन के बाद अनुमानित लागत
2.	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण कार्य (9)	17.90	6.04	11.28	6.14	.....
3.	सड़क निर्माण कार्य (190)	5,19.05	93.28	4,29.34	1,42.55	78.94
4.	सेतु निर्माण (11)	2,01.70	41.79	1,86.46	12.30	24.28
	योग	7,38.65	1,41.11	6,27.08	1,60.99	1,03.22

6.11 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली

1 अक्टूबर 2005 को या उसके बाद भर्ती किये गये राज्य कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत आते हैं, जो कि एक 'मूर्त अंशदान योजना' है। इस योजना के अनुसार, कर्मचारी अपने मूल वेतन

एवं महँगाई भत्ते का 10 *प्रतिशत* अंशदान करते हैं और राज्य सरकार मूल वेतन एवं महँगाई भत्ते का 14 *प्रतिशत* अंशदान करती है और सम्पूर्ण धनराशि नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एन0एस0डी0एल0)/ न्यासी बैंक के माध्यम से नामांकित निधि प्रबन्धक को हस्तान्तरित कर दी जाती है।

कर्मचारियों द्वारा देय वास्तविक धनराशि एवं सरकारी अंशदान का आँकलन नहीं किया गया है । वर्ष के दौरान कर्मचारियों का अंशदान ₹ 418.51 करोड़ था और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली हेतु वांछित अंशदान ₹ 585.91 करोड़ के विरुद्ध सरकार अंशदान ₹ 501.37 करोड़ था | इस प्रकार राज्य सरकार की ओर से ₹ 84.54 करोड़ का अंशदान कम था | अंशदान राशि ₹ 919.88 करोड़ को मुख्य लेखा शीर्ष-8342-117-कर्मचारियों के लिए मूर्त अंशदान पेंशन योजना के अन्तर्गत पुस्तांकित किया गया और ₹ 31.37 करोड़ रुपये बकाया सहित ₹ 914.63 करोड़ की कुल धनराशि एन0एस0डी0एल0 को हस्तान्तरित की गई | कर्मचारियों द्वारा देय वास्तविक राशि और समरूप सरकारी अंशदान की जानकारी के अभाव में, राज्य सरकार द्वारा प्रेषित निधियों की सटीकता की पुष्टि नहीं की जा सकती है।

₹ 914.63 करोड़ के कुल हस्तांतरण में से, एन0एस0डी0एल0 को ₹ 912.98 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। ₹ 1.65 करोड़ का अंतर राज्य सरकार से मिलानाधीन है । इसके अलावा, राज्य सरकार ने ₹ 159.38 करोड़ की राशि (विरासत अवशेष[2] के ₹ 22.75 करोड़ सहित) को लोक लेखा के मुख्य शीर्ष 8342-117-सरकारी कर्मचारियों के लिए मूर्त अंशदान पेन्शन योजना के अन्तर्गत पुस्तांकित किया | वर्ष 2019-20 के अंत में निधि में ₹ 164.64 करोड़ शेष थे |

6.12 व्यक्तिगत जमा खाते

राज्य सरकार सरकार की देनदारियों के निर्वहन के लिए समेकित निधि से धन हस्तांतरित कर धन जमा करने के लिए व्यक्तिगत जमा खाता खोलने के लिए अधिकृत है। प्रशासकों को वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस पर ऐसे लेखों को बंद करने और समेकित निधि में शेष राशि वापस को हस्तांतरित करने की आवश्यकता होती है। वर्ष 2019-20 के अंत में ₹ 200.29 करोड़ रुपये की अव्ययित शेष समेकित निधि में स्थानांतरित नहीं हुए। वर्ष के दौरान व्यक्तिगत जमा खाते की स्थिति निम्न है:

लेखा शीर्ष	विवरण	पी०एल०ए० की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
8443-106	व्यक्तिगत जमा	48	2,00.29

वर्ष के अंत तक ₹ 18.12 करोड़ एक वर्ष से अधिक समय तक अव्ययित रहे एवं ₹ 95.37 करोड़ तीन वर्ष से अधिक समय तक अव्ययित रहे |

[2] विरासत अवशेष राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की घोषणा तिथि (1 अक्टूबर 2005) एवं राज्य सरकार द्वारा योजना की अधिसूचना तिथि (31 मार्च 2008) की अवधि से सम्बंधित अंशदान की धनराशि है|

6.13 निवेश

राज्य सरकार सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, संयुक्त स्टॉक कंपनियों और सहकारी संस्थाओं की इक्विटी और शेयरों में निवेश करती है। राज्य सरकार ने उनके द्वारा किए गए निवेशों की जानकारी उपलब्ध / पुष्टि नहीं की है। परिणामस्वरूप, सरकारी निवेश पर वित्त लेखे में निहित जानकारी मुख्यतः सीमित सूचनाओं पर आधारित है जिसे महालेखाकार (ले0 एवं हक0), ने प्रमाणकों से लिया हैं। वित्त लेखे में दिखाए गए निवेश के आंकड़े उन इकाईयों के रिकॉर्ड के साथ मिलान के अधीन हैं, जहां राज्य सरकार द्वारा निवेश किया गया है ।

6.14 व्यय का प्रवाह

उत्तराखण्ड बजट मैनुअल (UBM) के अध्याय XVII के अनुच्छेद 183 एवं विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबन्धन के सिद्धांत विहित करते हैं कि वित्तीय वर्ष के समापन महीने में होने वाले व्यय से बचा जाना चाहिए। 2019-20 के दौरान कुल व्यय की तुलना में अंतिम तिमाही और मार्च 2020 के दौरान किए गए व्यय की प्रवृत्ति निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

जनवरी से मार्च 2019 के दौरान व्यय	मार्च 2020 में व्यय	कुल व्यय	निम्न के दौरान किए गए कुल व्यय का प्रतिशत	
			जनवरी से मार्च 2020 तक	मार्च 2020
1,07,97.54	51,75.62	3,82,72.98	28.21	13.52

6.15 आरक्षित निधियों की स्थिति

31 मार्च 2020 को राज्य सरकार द्वारा आठ आरक्षित निधियाँ संचालित थी जिसमे से दो आरक्षित निधि ब्याज सहित (₹ 3,253.55 करोड़ जमा) और छः आरक्षित निधियाँ ब्याज रहित (₹ 1,417.13 करोड़ जमा) थी | इन आठ निधियों में से, दो निधियाँ अक्रिय थीं (शेष ₹ 36.48 करोड़ नामे) तथा छः निधियाँ सक्रिय (शेष ₹ 4,707.16 करोड़ जमा) थीं । राज्य सरकार को आरक्षित निधियों में शेषों का मिलान करने हेतु कहा गया है जिससे अक्रिय निधियों को बंद किया जा सके | इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से उत्तर प्रतीक्षित है |

(₹ करोड़ में)

आरम्भिक शेष (1अप्रैल 2019)	राज्य सरकार द्वारा निधि में हस्तांतरण	व्यय	अंतिम शेष (31 मार्च 2020)	कुल निवेश	निवेश के बाद शेष
1,762.08	3,080.09	171.49	4,670.68	1,338.62	3,332.06

6.15.1 प्रत्याभूति मोचन निधि:

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार उत्तराखण्ड सरकार ने वर्ष 2006-07 में प्रत्याभूति मोचन निधि का गठन किया है । उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 27 दिसम्बर 2006 के दिशा निर्देशानुसार, राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति मोचन निधि में कम से कम बकाया परिवर्धित प्रत्याभूतियों का 1/5 भाग तथा वर्ष के दौरान संभावित परिवर्धित प्रत्याभूतियों में बढ़त के बराबर धनराशि का अंशदान किया जाना चाहिये | राज्य सरकार ने सूचित किया कि वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 0.32 करोड़ की धनराशि की प्रत्याभूतियाँ तलब की गयी | समेकित निधि से प्रत्याभूति मोचन निधि में कोई अंशदान नहीं किया गया और ₹ 4.45 करोड़ की धनराशि प्रत्याभूति फीस/ कमीशन के रूप में प्राप्त हुई | इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक जो इस निधि का प्रबन्धन करती है, के निर्देशानुसार निधि के संचय को बकाया प्रत्याभूति के 5 *प्रतिशत* के वांछित स्तर तक धीरे- धीरे बढ़ाया जाना अपेक्षित है ।निधि का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

आरम्भिक शेष (1अप्रैल 2019)	निधि में प्राप्तियाँ (अंशदान एवं ब्याज)		निधि से भुगतान	निधि में कुल शेष	वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा निवेश	अंतिम शेष (31मार्च 2020)
	वांछित स्तरीय अंशदान (31मार्च 2019 को शेष का 5%)	दिया गया वास्तविक अंशदान				
71.24 (35.00 + 36.24)	44.66	शून्य 6.20 (ब्याज)	शून्य	77.44 (35.00+ 42.44)	77.44	शून्य

6.15.2 राज्य आपदा मोचन निधि:

भारत सरकार ने 2010-11 में मौजूदा आपदा राहत निधि को राज्य आपदा विमोचन निधि में प्रतिस्थापित किया गया । निधि के दिशा-निर्देशानुसार केंद्र और विशेष श्रेणी के राज्यों जैसे उत्तराखण्ड से निधि में 90:10 के अनुपात में अंशदान अपेक्षित है।

निधि का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

आरम्भिक शेष (1अप्रैल 2019)	केंद्र द्वारा अंशदान	राज्यांश	योग	निर्धारित राशि (मुख्य शीर्ष 2245-05)	31 मार्च 2020 को निधि में शेष	वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक के माध्यम से निवेशित राशि
494.43	229.50	25.50	749.43	170.97	578.46	शून्य

6.15.3 राज्य प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि :-

सितम्बर 2018 में उत्तराखण्ड सरकार ने केंद्र सरकार से प्राप्त की गयी धनराशि का प्रबंधन करने एवं प्रतिकरात्मक वन रोपण, सहायतित प्राकृतिक पुनरुत्पादन, वनों का संरक्षण और सुरक्षा, बुनियादी ढाँचे का विकास, वन्य जीवन का संरक्षण एवं सुरक्षा तथा अन्य सम्बंधित गतिविधियों हेतु इस धनराशि का इस्तेमाल करने तथा इससे जुड़े / प्रासंगिक मामलों के लिए उत्तराखण्ड राज्य प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि की स्थापना की थी | इस निधि के अंतर्गत लेखांकन हेतु विस्तृत दिशानिर्देश पर्यावरण मंत्रालय, वन एवं जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार द्वारा नवम्बर 2018 में जारी किए जा चुके हैं | राज्य सरकार ने अब तक इन दिशानिर्देशों को नहीं अपनाया है और ना ही लेखांकन प्रक्रिया का पालन किया है | वर्ष 2019-20 के दौरान पर्यावरण मंत्रालय, वन एवं जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार ने उत्तराखण्ड के अंश के रूप में राष्ट्रीय प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि से ₹ 2,675.09 करोड़ की धनराशि स्थानांतरित की | यह धनराशि 8121-129 राज्य प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि की अंतर्गत पुस्तांकित की गई | चूँकि राज्य सरकार ने निधि में लेखांकन के दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया, यह मुद्दा राज्य सरकार के संज्ञान में ला दिया गया है |

6.16 मुख्य उपकर

6.16.1 श्रम उपकर

उत्तराखण्ड राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 'भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के कल्याण उपकर नियम' 1998 के अनुसार, ₹ 10 लाख से अधिक की परियोजनाओं की निर्माण लागत का एक *प्रतिशत* कल्याण उपकर के रूप में काटा जाता है । प्रावधानों के अनुसार, यह राशि सचिव, 'भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड' के पद के नाम में खोले गए राष्ट्रीयकृत बैंक के खाते में जमा की जाती है। उपकर के लेखांकन के लिए दोहरी प्रविष्टि व्यवस्था का पालन किया जा रहा है। निधि में एकत्रित राशि और उससे किये गए व्यय का विवरण निम्नवत है: -

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	बैंक आरंभिक शेष	प्राप्त श्रमिक उपकर	बैंक ब्याज	एफडीआर ब्याज	प्राप्त एफडीआर परिपक्व राशि	प्राप्त पंजीकरण शुल्क एवं अन्य आय	कल्याण योजनाओं पर व्यय	अन्य व्यय	एफडीआर के लिए हस्तांतरित राशि	बैंक अंतिम शेष=(A+B+C+D+E+F-G-H-I)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
2015-16	12.95	43.78	0.37	0.60	45.08	0.03	9.94	0.62	62.31	29.94
2016-17	29.94	54.89	1.46	0.11	8.29	0.14	30.96	2.31	11.25	50.31
2017-18	50.31	67.09	2.05	7.07	23.21	0.00	36.08	1.75	22.52	89.38
2018-19	89.38	87.01	3.74	11.72	72.59	0.28	88.65	2.32	71.40	102.44
2019-20	102.44	149.54	3.17	6.10	5.16	1.35	190.61	2.39	9.71	65.05
कुल		**402.40**	**10.79**	**25.60**	**154.33**	**1.80**	**356.24**	**9.39**	**177.19**	

31 मार्च 2020 को उपकर खाते में अव्ययित शेष की राशि ₹ 65.05 करोड़ रही |

6.16.2- हरित ऊर्जा उपकर

"उत्तराखण्ड हरित ऊर्जा उपकर अधिनियम, 2014" के अनुसार यह उपकर राज्य में उत्पन्न एवं राज्य के बाहर हस्तांतरित विद्युत् ऊर्जा पर वसूल किया जाएगा | साथ ही राज्य के वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई गयी विद्युत् ऊर्जा पर भी दस पैसा प्रति यूनिट उपकर वसूला जाएगा तथा उपकर उत्पादक अथवा यू.पी.सी.एल. द्वारा वसूला जायेगा एवं निधि में जमा किया जायेगा | यू.पी.सी.एल. ने सूचित किया है कि वर्ष 2018-19 में ₹ 75.61 करोड़ की धनराशि हरित ऊर्जा उपकर के रूप में संग्रहित की गई एवं ₹ 78.23 करोड़ की धनराशि राज्य सरकार को प्रदत्त की गयी |